अध्याय–18

ध्यानाकर्षण

राज्य सभा में स्थगन प्रस्ताव का न होना

भारत शासन अधिनियम, 1919 के अधीन गठित होने वाली विधान सभा के लिए भारतीय विधायी नियमों में अविलम्बनीय लोक महत्व के किसी निश्चित विषय पर चर्चा करने के लिए स्थगन प्रस्ताव उपस्थित करने का उपबंध सर्वप्रथम 1920 में किया गया था जो ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में अपनाई जा रही प्रक्रिया से अधिकांशत: मिलता–जुलता था। ये नियम केन्द्रीय विधान–मंडल के दोनों सदनों अर्थात् विधान सभा और राज्य परिषद् (काउंसिल ऑफ स्टेट) पर लागू होते थे। इन नियमों के नियम 11 के उप–नियम (1) में निम्नलिखित उपबंध किया गया था:

> नियम 22 के उप–नियम (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए अविलम्बनीय लोक महत्व के किसी निश्चित विषय पर चर्चा करने के प्रयोजन से दोनों सदनों में किसी सदन के कार्य के स्थगन के लिए कोई प्रस्ताव अध्यक्ष की अनुमति से किया जा सकेगा।

किन्तु 1952 में, जब राज्य सभा और लोक सभा को गठित किया गया था, स्थगन प्रस्ताव का उपबंध लोक सभा के नियमों में केवल इस आधार पर बने रहने दिया गया था कि मंत्रिपरिषद् भारत के संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अधीन सिर्फ लोक सभा के प्रति उत्तरदायी थी। तथापि, राज्य सभा में स्थगन प्रस्ताव के उपबंध का जो लोप कर दिया गया था उसकी प्रतिपूर्ति राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य –संचालन विषयक नियमों में ''पत्रों के लिए प्रस्ताव'' उपस्थित करने की प्रक्रिया को शामिल करके कर दी गई थी।[1]

काफी पहले अर्थात्, 1952 में ही राज्य सभा की नियम समिति ने इस सुझाव पर विचार किया कि राज्य सभा के नियमों में भी एक उपबंध होना चाहिए ताकि उसके सदस्य स्थगन प्रस्ताव पेश कर सकें। इस सुझाव के समर्थन में यह मत व्यक्त किया गया कि राज्य सभा केवल पुनरीक्षण करने वाला निकाय नहीं है। धन संबंधी मामलों को छोड़कर उसकी शक्तियां उतनी ही हैं जितनी लोक सभा के पास हैं। किंतु एक विपरीत मत यह भी व्यक्त किया गया कि चूंकि संविधान के अंतर्गत राज्य सभा के पास कोई वित्तीय शक्ति नहीं है और स्पष्ट भाषा में यह कहा गया है कि मंत्रिपरिषद् केवल लोक सभा के प्रति उत्तरदायी थी इसलिए राज्य सभा का कार्य सिर्फ एक पर्यवेक्षक का होना चाहिए और उसे ''पत्रों के लिए प्रस्ताव'' उपस्थित करने की प्रक्रिया का, जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा परिष्कृत की गई है, अनुसरण करना चाहिए जिसके द्वारा वह वास्तविक लोक महत्व के किसी भी विषय पर चर्चा कर सकती है और जिसके द्वारा प्रस्ताव उपस्थित करने वाले सदस्य को उत्तर देने का अधिकार प्राप्त होता है।[2]

समिति के सुझाव पर राज्य सभा के तत्कालीन सचिव ने द्वितीय सदनों में प्रश्नों और स्थगन प्रस्तावों के संबंध में एक टिप्पण तैयार किया था जिसमें कहा गया था:

> ऐसे प्रस्तावों (स्थगन प्रस्तावों) का स्वरूप ही ऐसा है कि वे लगभग हमेशा उन सदस्यों द्वारा पेश किए जाते हैं जो सरकार के विरोधी दलों के होते हैं। अत: सामान्यत: किसी स्थगन प्रस्ताव को सरकार की निंदा करने वाला प्रस्ताव समझा जाता है। अत: विशेषत: हमारे संविधान के अनुच्छेद 75(3) को दृष्टि में रखते हुए, जिसके

अधीन मंत्रिपरिषद् सामूहिक रूप से लोक सभा के प्रति उत्तरदायी है, राज्य सभा में ऐसे स्थगन प्रस्ताव को उपस्थित करने के संबंध में किसी उपबंध को शामिल करना अनुपयुक्त समझा गया है। जिन शर्तों के अधीन ''पत्रों के लिए प्रस्ताव'' की अनुमति दी जा सकती है उनको उन शर्तों से कम कठोर बनाया गया है जिनके अधीन लोक सभा में स्थगन प्रस्ताव पेश किया जा सकता है । अत: यह समझा गया है कि पत्रों के लिए प्रस्ताव राज्य सभा में स्थगन के प्रस्ताव का बेहतर विकल्प होगा।[3]

16 मई, 1952 को, जब राज्य सभा की दूसरी बैठक हुई थी, सभापति ने प्रक्रिया संबंधी नियमों को स्पष्ट करते हुए कहा था:

'' .... इस सभा में कोई स्थगन प्रस्ताव नहीं होते, क्योंकि सामान्यत: स्थगन प्रस्ताव का अर्थ सरकार की निन्दा या सरकार के प्रति असंतोष होता है । किंतु यही प्रयोजन पत्रों के लिए प्रस्ताव द्वारा सिद्ध हो जाता है। यह प्रक्रिया हाउस ऑफ लॉर्ड्स में भी अपनाई जाती है। अत: 'स्थगन प्रस्तावों' के स्थान पर हमारे यहां 'पत्रों के लिए प्रस्ताव' है।''[4]

पत्रों के लिए प्रस्ताव की पुरानी प्रक्रिया

अत: जब तक राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन विषयक नियमों में वर्तमान नियम 180 शामिल नहीं किया गया था, तब तक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों पर सरकार का ध्यान खींचने के लिए सदस्यों के पास एक ही तरीका था कि वे पत्रों के लिए प्रस्ताव पेश करें जिसका उस समय पुराने नियम 156 में उपबंध किया गया था।[5] ''पत्रों के लिए प्रस्ताव'' की प्रक्रिया हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पत्रों के लिए प्रस्ताव पेश करने के लिए विहित की गई प्रक्रिया से मिलती-जुलती थी। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में यह सामान्य प्रथा है कि चर्चा के लिए जिस विषय की सूचना दी जाती है उसके अंत में ''और पत्रों के लिए प्रस्ताव उपस्थित करेंगे'' शब्द जोड़े जाते हैं। यह प्रक्रिया सामान्यत: इसलिए अपनाई जाती है ताकि सदन के समक्ष एक प्रस्ताव रखा जा सके और प्रस्ताव पेश करने वाले सदस्य को वाद-विवाद का उत्तर देने का अवसर मिल सके। ऐसा माना जाता है कि सामान्यत: ऐसे प्रस्ताव को वापस ले लिया जाना चाहिए क्योंकि उसे एक तटस्थ प्रस्ताव समझा जाता है और उस पर जोर देने का न कोई लाभ है न कोई अर्थ।[6]

''पत्रों के लिए प्रस्ताव'' संबंधी नियम (156/175) इस प्रकार था:

(i) अविलम्बनीय लोक महत्व के किसी विषय पर चर्चा आरम्भ करने का इच्छुक सदस्य ''पत्रों के लिए'' किसी प्रस्ताव की सूचना दे सकता है और उठाए जाने वाले विषय को स्पष्टत: और यथार्थत: विनिर्दिष्ट कर सकता है।

(ii) यदि सभापति का , सूचना देने वाले सदस्य से और मंत्री से ऐसी जानकारी मांगने के बाद जिसे वह आवश्यक समझे, समाधान हो जाता है कि विषय अविलम्बनीय है और राज्य सभा में जल्दी ही किसी तारीख को उठाए जाने के लिए पर्याप्त लोक महत्व का है, तो वह प्रस्ताव को पेश करने की अनुमति दे सकेगा और ऐसी तारीख निश्चित कर सकेगा जब ऐसा प्रस्ताव चर्चा के लिए लिया जा सके और चर्चा के लिए उतने समय की अनुमति दे सकेगा जितना कि वह परिस्थितियों में उचित समझे और जो तीन घंटे से अधिक न हो:

परंतु यदि ऐसे विषय पर चर्चा के लिए अन्यथा जल्दी अवसर उपलब्ध हो, तो सभापति प्रस्ताव को पेश किए जाने की अनुमति देने से इन्कार कर सकेगा।

(iii) यदि ऐसी चर्चा के अंत में प्रस्ताव को सभा की अनुमति से वापस नहीं लिया जाता या मंत्री यह कहता है कि पटल पर रखने के लिए कोई पत्र नहीं हैं या यदि पत्र उपलब्ध हैं, तो वे इस आधार पर पटल पर नहीं रखे जा सकते कि लोकहित में ऐसा करना अहितकर होगा, तो किसी भी सदस्य को यह अनुमति होगी कि वह सभा की राय को ऐसे रूप में, जिसे सभापति ठीक समझे, अभिलिखित करने के लिए एक संशोधन पेश करे।

(iv) यदि कोई संशोधन पेश किया जाता है, तो जब तक सभापति अपने स्वविवेक से संशोधन से उत्पन्न होने वाले किन्हीं विषयों के स्पष्टीकरण के लिए और अधिक समय का आवंटन करना उचित न समझे, उसे बिना किसी चर्चा के सभा के समक्ष रखा जाएगा।

(v) अन्य बातों के संबंध में ''पत्रों के लिए प्रस्ताव'' को पेश करने की अनुमति देने और उस पर चर्चा करने के नियम, ऐसे परिवर्तनों सहित, जिन्हें सभापति आवश्यक या सुविधाजनक समझे, वैसे ही होंगे जैसे लोकहित के विषयों के लिए होते हैं।

जो प्रक्रिया अपनाई गई थी वह यह थी कि चूंकि नियमों में ''पत्रों के लिए'' प्रस्ताव के लिए प्रक्रिया का उपबंध करने का प्रमुख उद्देश्य सिर्फ यह था कि कोई सदस्य किसी महत्वपूर्ण और अविलम्बनीय विषय पर चर्चा आरंभ कर सके, सभापति इस प्रकार ''पत्रों के लिए'' प्रस्ताव पेश करने की अनुमति देने के स्थान पर बिना किसी औपचारिक प्रस्ताव के सदस्य को सिर्फ चर्चा आरंभ करने की अनुमति देगा या लोकहित के किसी विषय संबंधी प्रस्ताव या किसी मंत्री के वक्तव्य आदि के माध्यम से किसी अन्य रूप में ऐसी चर्चा की अनुमति देगा। दूसरे शब्दों में ऐसा एक भी अवसर नहीं आया जब उपरोक्त नियम के अनुसार ''पत्रों के लिए प्रस्ताव'' को पेश करने के लिए औपचारिक रूप से अनुमति दी गई हो और उस पर सभा में चर्चा हुई हो।

ध्यानाकर्षण की प्रक्रिया का शुरू किया जाना

संविधान के अनुच्छेद 118(1) के अधीन प्रक्रिया के प्रारूप नियमों की सिफारिश करने के लिए गठित समिति ने ''कुछ सदस्यों में व्याप्त इस भावना पर ध्यान दिया कि 'पत्रों के लिए प्रस्ताव' संबंधी प्रक्रिया इतनी कठोर है कि यह पाया गया कि इस प्रक्रिया के अंतर्गत किसी सूचना को गृहीत करना कठिन है।'' अत: अन्य बातों के साथ यह सिफारिश की गई कि राज्य सभा नियमों में एक ऐसा उपबंध किया जाए जिसके अधीन सदस्य अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों पर ध्यानाकर्षण की सूचना दे सकें। प्रतिवेदन को, जो 29 नवम्बर, 1963 को प्रस्तुत किया गया था, 2 जून, 1964 को सभा द्वारा स्वीकृत किया गया और ध्यानाकर्षण की नई प्रक्रिया 1 जुलाई, 1964 से प्रभावी हो गई।[7]

ध्यानाकर्षण और अल्पकालिक चर्चा की प्रक्रियाओं को लागू करने संबंधी उपरोक्त समिति के प्रतिवेदन के साथ संलग्न टिप्पण में समिति के एक सदस्य, श्री भूपेश गुप्त ने निम्नलिखित समुचित टिप्पणियां की थीं:

> हमारे सदन में स्थगन प्रस्तावों के लिए कोई उपबंध नहीं किया गया है यद्यपि ऐसे उच्च सदन हैं जहां ऐसे स्थगन प्रस्तावों की अनुमति दी जाती है। उदाहरण के लिए कनाडा, आस्ट्रेलिया और आयर के उच्च सदनों में ऐसा होता है। इसमें संदेह नहीं कि ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ऐसा कोई उपबंध नहीं है, किन्तु राज्य सभा कोई हाउस ऑफ लॉर्ड्स तो है नहीं। अत: यह प्रचलित धारणा कि उच्च सदनों में स्थगन प्रस्ताव पेश नहीं किए जा सकते, गलत है। यह आवश्यक नहीं है कि प्रस्ताव सरकार के प्रति अविश्वास या सरकार के इस्तीफे के प्रश्न से हमेशा जुड़ा हुआ हो। निस्संदेह, स्थगन प्रस्ताव के लिए कोई उपबंध न होने या अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों को उठाने के लिए किसी प्रभावी विकल्प के अभाव के फलस्वरूप इन सारे वर्षों में हमारे सदन को परेशानी का सामना करना पड़ा है। नियम 176 इन कठिनाइयों को एक हद तक दूर करेगा किंतु शर्त यह है कि उसके अंतर्गत जो चर्चाएं हों उनके लिए यथासंभव अधिक से अधिक अवसर दिए जाएं। यह आशा की जाती है कि यह नियम ''पत्रों के लिए प्रस्ताव'' संबंधी पुराने नियम की भांति ऐसा नियम सिद्ध नहीं होगा जिसका कभी उपयोग ही नहीं किया जा सके। मैं चाहूंगा कि इस संबंध में राज्य सभा किसी तरह से भी लोक सभा से पीछे न रहे। बल्कि मैं यह चाहूंगा कि इस नियम के अधीन चर्चा करने के लिए हमें अधिक सावधान और आग्रही होने और नियम को वस्तुत: एक जीवंत नियम बनाने का प्रयास करना चाहिए।
>
> पूरी आशा है कि अध्याय 13 और 14 के अंतर्गत जो नियम हैं उनके द्वारा सदन की भूमिका का विस्तार होगा और साथ ही जनता की दृष्टि में उसकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। व्यवहार और परंपराओं की अपनी-अपनी भूमिका होगी।

नियम 180 के उपबंध

कोई सदस्य सभापति की पूर्व अनुमति से मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के किसी भी विषय की ओर आकर्षित कर सकता है और मंत्री एक संक्षिप्त वक्तव्य दे सकता है या बाद में किसी समय पर या तारीख को वक्तव्य देने के लिए समय देने का अनुरोध कर सकता है। कोई भी सदस्य किसी एक बैठक के लिए ऐसी दो सूचनाओं से अधिक सूचनाएं नहीं दे सकेगा। जब ऐसा वक्तव्य दिया जा रहा हो तब कोई वाद-विवाद नहीं होगा। एक ही बैठक में ऐसे एक से अधिक विषय नहीं उठाए जाएंगे। यदि एक ही दिन के लिए एक से अधिक विषय रखे जाएंगे तो उस विषय को प्राथमिकता दी जाएगी जो सभापति की राय में अधिक अविलम्बनीय और महत्वपूर्ण हो। प्रस्तावित विषय प्रश्नों के बाद और पत्रों के, यदि कोई हों, सभापटल पर रखे जाने के बाद और कार्यावलि में किसी अन्य मद के लिए जाने के पहले लिए जाएंगे और सभा की बैठक के दौरान किसी अन्य समय पर नहीं लिए जाएंगे।[8]

सूचनाएं देने की प्रक्रिया

जो सदस्य अविलम्बनीय लोक महत्व के किसी विषय की ओर किसी मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता है, उसे विहित प्ररूप में लिखित रूप में सूचना देनी होती है जिसे महासचिव को संबोधित करना होता है। ऐसी सूचनाओं की प्रारंभिक जांच को सुगमतापूर्वक कराने के लिए और देरी न होने देने के लिए सूचना की एक-एक प्रति को संबंधित मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री को पृष्ठांकित करना आवश्यक होता है।[9] सूचना को और उसकी दो प्रतियों को राज्य सभा के सूचना कार्यालय (नोटिस ऑफिस) में देना होता है। जो प्रतियां संबंधित मंत्री के लिए और संसदीय कार्य मंत्री के लिए होती हैं उन्हें संसदीय कार्य मंत्रालय ले लेता है और वे संबंधित मंत्रालय को भेज दी जाती हैं। इससे संबंधित मंत्री सूचना के बारे में पूर्व जानकारी प्राप्त कर लेता है जिससे वह सभा में उठाए जाने वाले प्रस्तावित विषय के बारे में सभापति को, यदि आवश्यक हो, तथ्यात्मक स्थिति की जानकारी दे सकता है जिसके आधार पर सभापति सूचना की ग्राह्यता के बारे में निर्णय कर सकता है। जहां तक संसदीय कार्य मंत्री का संबंध है, पूर्व जानकारी के आधार पर उसका मंत्रालय मामले के बारे में संबंधित मंत्रालय और राज्य सभा सचिवालय के बीच तालमेल स्थापित कर सकता है।

कतिपय निर्णयों के अनुसरण में जो (1) 19 जून, 1978 और 16 मई, 1979 को हुई नियम समिति की बैठकों, (2) 21 मार्च, 1975 को हुई सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति की बैठक और (3) 3 अगस्त, 1970 और 21 अगस्त, 1970 को दलों और समूहों के नेताओं की सभापति के साथ हुई बैठकों में लिए गए थे, सभापति ने 23 मई, 1979 को सभा में एक घोषणा की जिसमें ध्यानाकर्षण के बारे में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और उसके संचालन के बारे में सदस्यों को जानकारी दी गई थी और एक संसदीय समाचार द्वारा भी इसकी जानकारी दी गई थी।[10] तब से प्रत्येक सत्र के आरंभ में सदस्यों द्वारा ध्यानाकर्षण की सूचनाएं देते समय उनके द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में उन्हें एक संसदीय समाचार जारी किया जाता है।

जैसे ही सत्र के लिए आह्वान (समन) जारी किए जाते हैं वैसे ही सदस्य सूचनाएं दे सकते हैं।[11] जिस दिन सभा में मामले को उठाने का विचार हो उस दिन मध्याह्न पूर्व 10.30 बजे तक सूचना दी जानी होती है। किसी सप्ताह में किसी दिन के लिए प्राप्त सभी ध्यानाकर्षण सूचनाओं को उस पूरे सप्ताह के लिए जिसमें वह दिन पड़ता हो, विचारार्थ निलंबित रखा जाता है और वे प्रतिदिन सभापति के समक्ष उनके विचारार्थ रखी जाती हैं।[12]

जहां तक नामों को मिलाने का संबंध था, पिछली प्रथा यह थी कि गृहीत विषय के संबंध में सूचनाओं को सत्र के अंत तक विचारार्थ निलंबित रखा जाता था। नियम समिति ने इस मामले पर विचार किया और सिफारिश की कि ध्यानाकर्षण सूचनाओं को सप्ताह के अंत तक ही विचारार्थ निलंबित रखना चाहिए।[13] तद्नुसार सभा में एक घोषणा की गई।[14]

समिति ने यह प्रस्ताव भी रखा कि यह उपबंध करने के लिए नियम 180 में एक उप-नियम जोड़ा जाए कि सभापति द्वारा स्वीकार न की गई सूचनाएं बैठक के अंत में व्यपगत हो जानी चाहिए।[15] किंतु सभा इस सिफारिश पर सहमत नहीं हुई।[16]

सप्ताह के जिस अंतिम दिन सभा की बैठक हो, उस दिन वे सभी सूचनाएं जिनका सभापति द्वारा चयन नहीं किया जाए, व्यपगत समझी जाएंगी। इसके बारे में सदस्यों को कोई सूचना नहीं दी जाएगी।[17] नियम समिति ने निम्नलिखित सिफारिश की:

इस समय जिन सदस्यों की ध्यानाकर्षण सूचनाएं स्वीकार नहीं की जातीं उन्हें तद्नुसार सूचना दे दी जाती है। समिति के विचार में ऐसा करना अनावश्यक है। स्वीकार की जा चुकी सूचना को सदस्यों की जानकारी के लिए नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करना पर्याप्त होगा।[18]

किसी सदस्य द्वारा किसी एक बैठक के लिए दो से अधिक सूचनाएं नहीं दी जा सकतीं।[19] यह उपबंध नियम समिति की सिफारिश पर नियम 180 में जोड़ा गया था जिसने निम्नलिखित टिप्पणी की:

कई बार सदस्य किसी खास दिन के लिए विभिन्न विषयों पर अनेक सूचनाएं देते हैं। समिति की राय है कि एक बैठक के लिए सदस्य द्वारा दो से अधिक ध्यानाकर्षण सूचनाएं नहीं दी जानी चाहिए।[20]

किन्तु एक ही विषय पर एक से अधिक सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से या अलग-अलग सूचनाएं दी जा सकती हैं।

किसी सूचना का गृहीत किया जाना

किसी ध्यानाकर्षण को स्वीकार करने या न करने का अधिकार सभापति को ही प्राप्त है। किसी ध्यानाकर्षण को पेश करने की अनुमति देना या न देना सभापति के स्वविवेक पर है।[21] किसी सूचना का गृहीत किया जाना नियमों के अधीन और सभापति के इस आकलन के अधीन है कि जिस विषय को उठाने की अनुमति मांगी जा रही है उसके संबंध में मंत्री द्वारा शीघ्र उत्तर दिया जाना आवश्यक है। ध्यानाकर्षण सूचनाओं को गृहीत करने के दो आधारभूत मानदंड हैं: विषय की अविलम्बनीयता और लोक महत्व। सभापति इन दोनों मानदंडों के अनुसार गुणावगुण के आधार पर निर्णय लेता है और सभा की प्रत्येक बैठक के लिए सदस्यों द्वारा दी गई अनेक सूचनाओं में से एक विषय को चुनता है। सभापति के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह ''केवल इस सिद्धांत पर किसी विषय को चुने कि एक ध्यानाकर्षण होना ही चाहिए'' या प्रतिदिन ''समय को पूरा के लिए ध्यानाकर्षण होना ही चाहिए।''[22]

किसी सूचना को गृहीत करने की प्रक्रिया में ऐसा हो सकता है कि राज्य सभा में ध्यानाकर्षण के द्वारा किसी विषय को न लिया जाए और दूसरी सभा में ध्यानाकर्षण के द्वारा उसी तरह के विषय पर चर्चा हो जाए।

14 अगस्त, 1968 को कुछ सदस्यों ने सभा में उल्लेख किया कि उत्तर प्रदेश के कतिपय शहरों में पुलिस की ज्यादतियों के संबंध में एक ध्यानाकर्षण सूचना को गृहीत नहीं किया गया है और उन्होंने सूचनाओं को गृहीत करने के बारे में अपने विचार भी रखे। 19 अगस्त, 1968 को सभापति ने अन्य बातों के साथ 14 अगस्त, 1968 की कार्यवाही का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित व्यवस्था दी:

कभी-कभी सदस्यों ने मेरे समक्ष निवेदन किया है कि उनके द्वारा दी गई ध्यानाकर्षण सूचनाओं को अस्वीकार कर दिया गया है। उन्हें इस बात को ठीक-ठीक समझना चाहिए कि मुझे प्रत्येक बैठक के लिए औसतन लगभग 15 से 20 ध्यानाकर्षण सूचनाएं प्राप्त होती हैं और नियमों के अधीन एक दिन के लिए उनमें से एक ध्यानाकर्षण सूचना ही गृहीत की जा सकती है।

जब मैं एक सूचना को स्वीकार करता हूं और अन्य सूचनाओं को स्वीकार नहीं करता तब सदस्यों को यह महसूस नहीं करना चाहिए कि मैंने उन सूचनाओं की अविलंबनीयता या महत्व को ठीक-ठीक नहीं समझा है। मैं सभी सूचनाओं पर विचार करता हूं और उनमें से एक को चुनता हूं और अन्य सूचनाओं के लिए अनुमति नहीं देता हूं। सदस्यगण इस बात से सहमत होंगे कि अनेक सूचनाओं में किसको स्वीकार किया जाए, इसका निर्णय करना मेरा ही काम होना चाहिए और सभा को मेरे निर्णय को मानना चाहिए।

कभी-कभी सदस्यों ने मुझसे शिकायत की है कि यद्यपि राज्य सभा में किसी ध्यानाकर्षण सूचना को स्वीकार नहीं किया गया है, तथापि दूसरी सभा में उसी विषय पर सूचना स्वीकार की गई है। मैं इस मुद्दे पर सिर्फ यही कह सकता हूं कि मैं सूचना के विषय की अविलंबनीयता और महत्व को देखते हुए और विभिन्न विषयों पर जो अनेक सूचनाएं मुझे प्राप्त होती हैं उनके सापेक्ष महत्व और अविलंबनीयता पर विचार करते हुए गुणावगुण के आधार पर स्वतंत्र रूप से निर्णय लेता हूं और हो सकता है कि इस प्रक्रिया में कोई सूचना हमारी सभा में स्वीकार न की जाए और दूसरी सभा में उसी प्रकार के विषय के बारे में सूचना स्वीकार कर ली जाए। सभा मुझसे सहमत होगी कि कभी-कभी ऐसी स्थिति अपरिहार्य हो जाती है।[23]

एक बार जब सभापति ने विशेष उल्लेख की मद को लिया, तब एक सदस्य ने एक औचित्य प्रश्न उठाकर शिकायत की कि सत्र के दौरान केवल दो ध्यानाकर्षण सूचनाओं को स्वीकार किया गया है और सभा महत्वपूर्ण और अविलंबनीय विषयों पर चर्चा नहीं कर रही है। इस पर सभापति ने औचित्य प्रश्न को अमान्य ठहराते हुए निम्नलिखित टिप्पणी की:

ध्यानाकर्षण को स्वीकार करना और उसे पेश करने की अनुमति देना सभापीठ के विवेक पर है। उसे सरकार और प्रशासन के कार्य को संतुलित करना पड़ता है। यदि वह देखता है कि वित्त विधेयक जैसे महत्वपूर्ण विषयों को लेने के बाद कुछ समय बचा है तो निश्चय ही वह समय देगा। किन्तु सभापीठ वित्त विधेयक और सरकारी कार्य के स्थान पर ध्यानाकर्षण को प्राथमिकता न दे सकता है और न देगा।[24]

यह आवश्यक नहीं है कि सभा की प्रत्येक बैठक के लिए ध्यानाकर्षण सूचना स्वीकार की ही जाए।

पाकिस्तान का आक्रमण होने के कारण 4 दिसम्बर, 1971 को बैठकों के समय में परिवर्तन करते हुए यह निर्णय किया गया कि उस दिन से सत्र (78वां) के बाकी समय तक कोई ''प्रश्नों का समय'' या ध्यानाकर्षण नहीं होगा।[25]

93वां सत्र मुख्यत: आपातकाल की घोषणा करने और अन्य संबंधित विषयों का अनुमोदन करने के लिए बुलाया गया था। इस सत्र के दौरान 21 जुलाई, 1975 को गृह कार्य, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री ने निम्नलिखित प्रस्ताव उपस्थित किया जो चर्चा के पश्चात् स्वीकृत हो गया:

यह सभा संकल्प करती है कि चूंकि राज्य सभा का वर्तमान सत्र कतिपय अविलंबनीय और महत्वपूर्ण सरकारी कार्यों के निष्पादन के लिए एक आपातकालीन सत्र की तरह है, इसलिए सत्र के दौरान ध्यानाकर्षण और किसी गैर-सरकारी सदस्य द्वारा आरंभ किए जाने वाले किसी अन्य कार्य सहित किसी भी अन्य कार्य को सभा के समक्ष न लाया जाए और न ही उसे सभा द्वारा किया जाए और राज्य सभा में प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन विषयक नियमों के अंतर्गत सभी संबद्ध नियमों को उस सीमा तक एतद्द्वारा निलंबित कर दिया जाए।[26]

मंत्री द्वारा 3 नवम्बर, 1976 को पुन: निम्नलिखित प्रस्ताव उपस्थित किया गया जो चर्चा के पश्चात् स्वीकृत हुआ:

यह सभा संकल्प करती है कि चूंकि राज्य सभा का वर्तमान सत्र संविधान (चवालीसवां संशोधन) विधेयक, 1976 और कतिपय अपरिहार्य और अत्यावश्यक सरकारी कार्यों पर विचार करने के लिए एक विशेष सत्र की तरह है, इसलिए सत्र के दौरान केवल सरकारी कार्य को ही निष्पादित किया जाए और प्रश्नों, ध्यानाकर्षण और

किसी गैर-सरकारी सदस्य द्वारा आरंभ किये जाने वाले किसी अन्य कार्य सहित किसी भी अन्य कार्य को सभा के समक्ष न लाया जाए और न ही उसे सभा द्वारा किया जाए और राज्य सभा में प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन विषयक नियमों के अंतर्गत सभी संबद्ध नियमों को उस सीमा तक एतद्द्वारा निलंबित कर दिया जाए:

परंतु यदि उक्त संविधान संशोधन विधेयक के निपटाए जाने के बाद कुछ समय बचता है तो सभापति अपने विवेकानुसार, ध्यानाकर्षण और अल्पकालिक चर्चा की अनुमति दे सकता है।[27]

सरकार के पिछले प्रस्ताव की सूचना में परंतुक नहीं दिया गया था।[28] बाद में संबंधित मंत्री ने पिछले प्रस्ताव के स्थान पर उपरोक्त प्रस्ताव की सूचना दी।[29]

26 मार्च, 1985 को जब एक सदस्य ने शिकायत की कि समूचे सत्र (133वें सत्र) के दौरान, जो 13 मार्च, 1985 को आरंभ हुआ था, ''एक भी ध्यानाकर्षण नहीं हुआ...राज्य सभा 'विशेष उल्लेख' सभा हो गई है,'' तब सभापति ने कहा: ''कार्य की अधिकता को देखते हुए, कार्य मंत्रणा समिति के सदस्य इसके लिए सहमत थे कि इन दो सप्ताहों के दौरान किसी ध्यानाकर्षण को न लिया जाए।''[30]

कोई ऐसा सदस्य जिसकी सूचना अस्वीकृत हो गई हो या सप्ताह के अंत में व्यपगत हो गई हो, एक नई सूचना देकर अपनी सूचना को पुन: विचारार्थ पेश कर सकता है और सभापति अन्य सूचनाओं के साथ ऐसी सूचना पर पुनर्विचार करता है। कभी-कभी इस प्रक्रिया के द्वारा सभापति किसी ऐसी सूचना को स्वीकार कर सकता है जिसे वह किसी अन्य सूचना को प्राथमिकता दिए जाने के कारण या अन्य किसी कारण से किसी पिछले दिन या सप्ताह को स्वीकार नहीं कर सका था।[31]

किसी सूचना का गृहीत न किया जाना

जैसाकि कहा जा चुका है, सभापति को ध्यानाकर्षण की किसी सूचना को स्वीकार करने या न करने की पूरी विवेकाधीन शक्ति प्राप्त है। वह इस संबंध में अपने निर्णय के किन्हीं कारणों को बताने के लिए भी बाध्य नहीं है।

एक सदस्य ने औचित्य प्रश्न उठाकर यह शिकायत की कि उसने ध्यानाकर्षण की एक सूचना दी थी जिसे गृहीत नहीं किया गया किंतु उस विषय पर लोक सभा में विचार हुआ। सभापति का कहना था; ''यदि आप ध्यानाकर्षण की सूचना देते हैं और उसकी अनुमति नहीं दी जाती तो उसके संबंध में औचित्य प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।''[32]

15 और 16 मार्च, 1989 को प्रश्नों का समय आरंभ होने पर सदस्यों ने श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बारे में एक समाचार-पत्र में किए गए रहस्योद्घाटन के संबंध में अपने ध्यानाकर्षण के लिए अनुमति न देने के बारे में एक मामला उठाया। सभापति ने व्यवस्था दी : ''मामले के सभी पहलुओं पर पूर्ण रूप से विचार करने के बाद मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूं कि ध्यानाकर्षण के मामले को उठाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।'' जब एक सदस्य ने इसका कारण जानना चाहा तब सभापति ने टिप्पणी की : ''नियमों के अधीन मैं यह सब कहने के लिए बाध्य नहीं हूं...किंतु मैं यह आपको पुन: आश्वासन देने के लिए कह रहा हूं कि इस ध्यानाकर्षण के लिए अत्यंत मान्य और ध्यान देने योग्य कारणों से अनुमति नहीं दी गई है...इस निर्णय को लेते समय मैंने सभी पहलुओं को... विशेषत: मानवीय पहलू को और न्याय तथा औचित्य के ऐसे सिद्धांतों को ध्यान में रखा है जिन्हें चुनौती नहीं दी जा सकती।''[33]

किसी सूचना का रूपान्तरण और उसे किसी अन्य मंत्री को सौंपा जाना

हो सकता है कि सदस्यगण एक विषय पर, जो सारत: एक जैसा ही हो, सूचनाएं दें किंतु उनकी सूचनाओं की शब्दावली भिन्न-भिन्न हो और वे इसे देखते हुए कि विषय में किस बात पर जोर दिया जाना है इन सूचनाओं को भिन्न-भिन्न मंत्रियों को संबोधित करें। इसके कारण एक ही विषय से संबंधित सभी सूचनाओं को एकीकृत करना पड़ सकता है या उनके शब्द-विन्यास में परिवर्तन करना पड़ सकता है ताकि उनमें जो समान बातें हों वे व्यक्त हो सकें या उनमें कही गई बातों का निचोड़ समग्र रूप से सामने आ सके या उन्हें ऐसा स्वरूप प्रदान किया जाए जिससे उन्हें अन्य प्रकार से स्वीकार किया जा सके। तथापि, जहां तक

संभव होता है वहां तक सदस्य द्वारा दी गई ध्यानाकर्षण सूचना की भाषा को सारत: 'जैसे का तैसा' ही रहने दिया जाता है।

विदेशी निधियों के उपयोग पर खुफिया ब्यूरो के प्रतिवेदन से संबंधित ध्यानाकर्षण में, जिस रूप में उसे गृहीत किया गया था, अन्य बातों के साथ साम्यवादी देशों का भी उल्लेख किया गया था। एक सदस्य ने औचित्य प्रश्न उठाकर इस उल्लेख पर आपत्ति की और उसे निकाल देने की मांग की। सभापति ने आपत्ति को अमान्य ठहराते हुए कहा : ''मैंने इसके लिए अनुमति दी है और इसलिए अब आप कुछ नहीं कह सकते।''[34]

एक ध्यानाकर्षण का विषय था : ''सोवियत संघ के स्टेट बैंक द्वारा रूबल के रुपया-मूल्य की तुलना में उसका कथित एकपक्षीय पुनर्मूल्यन और उसके कारण सोवियत संघ से लिए गए ऋण के भुगतान पर अत्यंत प्रतिकूल प्रभाव पड़ना।'' एक सदस्य ने औचित्य प्रश्न उठाते हुए पूछा कि जब बातचीत अभी भी चल रही है तब क्या यह उचित है कि आप ऐसे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव (ऐसा ही) के आधार पर कार्यवाही चलाएं जिसकी भाषा से यह निष्कर्ष निकलता है कि नकारात्मक या प्रतिकूल प्रभाव पहले से ही पड़ रहा है। सदस्य का विचार था कि ध्यानाकर्षण की भाषा बहुत असंगत है। उपसभापति ने इस पर यह कहा :

''जहां तक... भाषा का संबंध है, वह कतिपय सदस्यों की होती है और मेरे विचार में उन मामलों को छोड़कर जहां ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाता है जिसमें बदनीयती आदि का आरोप लगाने वाले शब्द होते हैं, हम प्रस्ताव की भाषा को बदल नहीं सकते।''[35]

जब एक सदस्य ने कहा कि उन्होंने ऐसी ध्यानाकर्षण सूचना पर हस्ताक्षर किए हैं जो दूसरी तरह की थी तब सभापति ने टिप्पणी की : ''इसके (अर्थात् सूचना के विषय के) शब्द -विन्यास में हमेशा परिवर्तन किया जाता है।''[36]

कुछ सदस्यों ने 16 फरवरी, 1981 को नई दिल्ली में हुई किसान रैली में सरकारी तंत्र के कथित दुरुपयोग पर चर्चा करने के लिए एक ध्यानाकर्षण सूचना दी थी। इस सूचना को इस रूप में स्वीकृत किया गया : ''16 फरवरी, 1981 को नई दिल्ली में किसान रैली के आयोजन के लिए डीजल का कथित व्यय।'' ध्यानाकर्षण के दायरे के बारे में औचित्य प्रश्न उठाए जाने पर उपसभापति ने कहा : ''माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए एक विषय पर सभापति ने ध्यानाकर्षण की अनुमति दी है... यहां पर प्रस्ताव (ऐसा ही) का सार देना होगा। मेरे विचार में उन्होंने डीजल के उपयोग और अन्य चीजों का भी उल्लेख किया होगा। अत: सभापति ने रैली के संबंध में एक बड़े दायरे में आने वाले मुद्दे-डीजल के व्यय को शामिल किया है। जहां तक रैली का संबंध है, हम किसान रैली पर चर्चा नहीं करने जा रहे हैं। यह सरकार का काम नहीं है। सरकार किसी दल की ओर से उत्तर नहीं दे सकती।''[37]

एक बार भारत की सुरक्षा के लिए उत्पन्न गंभीर खतरे से संबंधित ध्यानाकर्षण में निम्नलिखित पांच मुद्दों को, यद्यपि वे एक-दूसरे से संबंधित थे, मिला दिया गया ताकि विषय व्यापक हो सके: ''(क) अमरीका द्वारा श्रीलंका में नौसैनिक अड्डों की स्थापना का प्रयास, (ख) कराची के निकट चीनी नौसैनिक अड्डों की स्थापना, (ग) हथियार बनाने वाली अमेरिकी कंपनियों और पाकिस्तान के बीच हथियारों का सौदा, (घ) सऊदी अरब द्वारा पाकिस्तान को अमरीकी हथियार खरीदने के लिए सहायता और (ङ) नाभिकीय हथियारों को अर्जित करने के लिए पाकिस्तान की योजनाएं।'' इस प्रकार की प्रक्रिया के अपनाए जाने पर एक औचित्य प्रश्न उठाया गया जिसे सभापति ने अमान्य ठहराया।[38]

सभापति किसी सूचना को ऐसे मंत्री को अंतरित या आवंटित कर सकता है जिसे सदस्य द्वारा मूल सूचना में संबोधित न किया गया हो।

एक ध्यानाकर्षण का विषय इस प्रकार था : ''ट्रांसमीटरों के साथ चीनी बैलूनों का कथित रूप से पकड़ा जाना, देश के विभिन्न भागों में प्रचार सामग्री का पाया जाना और मणिपुर में विदेशों में प्रशिक्षित छापामारों और कानून को अपने हाथ में लेने वाले तत्वों की गतिविधियां।'' इस ध्यानाकर्षण के लिए अनुमति दे दी गई और उसे गृह कार्य मंत्री को संबोधित किया गया। ध्यानाकर्षण के उत्तर में मंत्री के वक्तव्य के बाद यह मुद्दे उठाए गए कि मूल सूचना में 3-4 विशिष्ट विषय थे और उसे विदेश मंत्री को संबोधित किया गया था। ध्यानाकर्षण करने वाले सदस्य से सहमत होते हुए उपसभापति ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

''सामान्यत: हम जो करते हैं और इस मामले में भी जो किया गया प्रतीत होता है वह यह है कि किसी विषय या किन्हीं संबंधित विषयों पर अनेक प्रस्ताव आपस में मिला दिए जाते हैं...चूंकि इस प्रस्ताव का विस्तार उन क्षेत्रों पर है जो विदेश मंत्रालय से भी संबंधित हैं इसलिए हमने स्वयं विदेश मंत्रालय को एक प्रति भेजी ताकि विदेश राज्य मंत्री, यदि वे चाहें, यहां पर आ सकें और वाद-विवाद के बीच में अपनी बात कह सकें।''[39]

एक ध्यानाकर्षण गढ़वाल संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में लोक सभा के उप-चुनाव को स्थगित करने से उत्पन्न स्थिति के बारे में था। उसके लिए अनुमति दे दी गई थी और संबंधित सदस्यों को भी तद्नुसार सूचना दे दी गई थी। बाद में जब सभापति को विधि तथा न्याय मंत्री से एक पत्र प्राप्त हुआ तब उन्होंने निदेश दिया कि ध्यानाकर्षण का शब्द-विन्यास बदलकर उसे ऐसा सामान्य रूप दे दिया जाए अर्थात् ''संसद् के किसी उप-चुनाव को संपन्न कराने के लिए निश्चित अवधि का उपबंध न करने की दृष्टि से निर्वाचन विधि में कमियां।'' तद्नुसार 25 नवम्बर, 1981 की कार्यावलि में ध्यानाकर्षण का संशोधित रूप छपा। जब उसे लिया गया तब ध्यानाकर्षण के रूप को सारत: संशोधित किए जाने और सदस्यों द्वारा उसे गृह मंत्री को संबोधित किए जाने पर भी उसे विधि तथा न्याय मंत्री को अंतरित किए जाने पर आपत्ति करते हुए सदस्यों ने अनेक औचित्य प्रश्न उठाए। विधि तथा न्याय मंत्री द्वारा स्थिति स्पष्ट किए जाने के बाद उपसभापति ने मामले पर रोशनी डालते हुए कहा: ''सभापति को अधिकार है कि वह सदस्यों द्वारा दिए गए किसी भी ध्यानाकर्षण के शब्द-विन्यास को बदल दें....विगत में भी सभा में इसी प्रथा का अनुसरण किया गया है। जब कई ध्यानाकर्षण सूचनाएं दी जाती हैं तब सभापति निर्णय करते हैं और कतिपय बुनियादी मामलों को शामिल किया जाता है। शब्दावली कैसी हो, इसका निर्णय हमेशा सभापति द्वारा किया जाता है।'' कुछ और मुद्दों के बाद जब उपसभापति ने उस सदस्य से ध्यानाकर्षण शुरू करने के लिए कहा जिसका नाम ध्यानाकर्षण करने वाले सदस्यों में सबसे ऊपर था तब उस सदस्य ने अपनी उस मूल सूचना को पढ़ना शुरू कर दिया जो गृह मंत्री को संबोधित था। उपसभापति ने यह टिप्पणी करते हुए इसकी अनुमति नहीं दी : ''केवल कार्यावलि में छपी हुई सूचना ही अभिलिखित की जाएगी।'' उपसभापति द्वारा यह निदेश दिए जाने के बाद कि समूची बहस के दौरान गृह मंत्री सभा में उपस्थित रहेंगे, ध्यानाकर्षण पर बहस आरम्भ हुई।[40]

नई दिल्ली में एशियाई खेलों के लिए निर्माणाधीन एक पुल के ढह जाने के संबंध में एक ध्यानाकर्षण रेल मंत्री द्वारा उत्तर दिए जाने के लिए गृहीत हुआ। एक सदस्य ने दलील दी कि इसमें तीन मंत्री अर्थात् रेल मंत्री, निर्माण तथा आवास मंत्री और नौवहन तथा परिवहन मंत्री अंतर्ग्रस्त हैं। सभापति ने टिप्पणी की कि ध्यानाकर्षण नौवहन और परिवहन मंत्री को संबोधित तो है किंतु चूंकि पुल का निर्माण रेलवे द्वारा हो रहा है इसलिए उसे रेल मंत्री को संबोधित किया गया है। उन्होंने आगे कहा:

''पुल के ढह जाने के बारे में बहुत-सी सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। कुछ सदस्यों ने अपनी सूचनाओं को नौवहन और परिवहन मंत्री को संबोधित किया था और कुछ अन्य सदस्यों ने अन्य मंत्रियों को संबोधित किया था। कुल मिलाकर पुल का निर्माण रेल मंत्री के प्रभार के अंतर्गत है इसलिए यह विषय उन्हीं को जाएगा ...जब इतनी सारी सूचनाएं भिन्न-भिन्न शब्दावली में प्राप्त होती हैं किन्तु उनका मुख्य विषय एक ही होता है तब उन सबको मिला दिया जाता है। यदि सदस्य आग्रह करेंगे कि उनकी शब्दावली न बदली जाए तो उन्हीं को हानि होगी। तब केवल एक ही नाम रखा जाएगा और बाकी नामों का उल्लेख नहीं किया जाएगा क्योंकि विषय चाहे एक ही हो, शब्दावली अलग-अलग होगी।''

तद्नुसार ध्यानाकर्षण का उत्तर रेल मंत्री द्वारा दिया गया यद्यपि नौवहन तथा परिवहन मंत्री ने भी, जो उपस्थित थे, कुछ मुद्दों को स्पष्ट किया।[41]

पत्रकारों के वेतन और उन पर होने वाले हमलों के बारे में एक ध्यानाकर्षण, जो सूचना तथा प्रसारण मंत्री को संबोधित था, 5 दिसम्बर, 1983 के लिए गृहीत हुआ। बाद में उसके विषय को पत्रकारों पर होने वाले हमलों तक सीमित कर दिया गया और उसे गृह मंत्री को संबोधित किया गया।[42]

सूचनाओं की पूर्ववर्तिता

किसी विषय पर जो सूचनाएं सभापति द्वारा गृहीत की जाती हैं उनकी सापेक्ष पूर्ववर्तिता अलग-अलग सूचनाओं के मामले में उनके प्राप्त होने के समय के अनुसार निर्धारित की जाती है। कई सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित किसी सूचना के मामले में प्रायोजक सदस्य का नाम उन सभी सदस्यों से ऊपर

होता है जिन्होंने सूचना पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके बाद एक ही विषय पर संयुक्त रूप से या अलग-अलग सूचना देने वाले सभी सदस्यों के नाम कार्यावलि में ध्यानाकर्षण की मद के अंतर्गत दर्ज किए जाते हैं। बहुत से उदाहरण हैं जहां ध्यानाकर्षण की मद के अधीन बड़ी संख्या में सदस्यों के नामों का उल्लेख हुआ है। ध्यानाकर्षण के माध्यम से कई सदस्यों (संख्या कोष्ठकों में दी गई है) द्वारा उठाए कुछ विषय निम्नलिखित हैं:

> बांग्लादेश की स्थिति के बारे में प्रिंस आगा खान का कथित वक्तव्य (60),[43] मई, 1978 में पुलिस द्वारा गोली चलाए जाने की न्यायिक जांच कराने के लिए श्री एम॰ एन॰ गोविन्दन नायर, संसद् सदस्य द्वारा भूख-हड़ताल (102),[44] हरिजनों पर अत्याचार (74),[45] गेहूं आदि के लिए लाभकारी मूल्य (65),[46] बेरोजगारी (55),[47] धान के लिए अपर्याप्त मूल्य (57),[48] किसानों की दयनीय स्थिति (51),[49] कृषि उपज के लिए लाभकारी मूल्य (65),[50] किसानों के लिए लाभकारी मूल्य (55),[51] गन्ना उत्पादकों के लिए लाभकारी मूल्य (75),[52] और (61),[53] साम्प्रदायिक स्थिति (61),[54] और रूस द्वारा क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन के सौदे को रद्द किया जाना (51)।[55]

किन्तु किसी ध्यानाकर्षण सूचना के सभापति द्वारा गृहीत किए जाने की निर्धारक या निर्णायक कसौटी यह नहीं है कि उस पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए हैं। कई बार ऐसे ध्यानाकर्षण के लिए अनुमति दी गई है जिसकी सूचना केवल एक सदस्य या दो या तीन सदस्यों द्वारा दी गई है। एक सुझाव दिया गया था कि ध्यानाकर्षण की मद के अंतर्गत सदस्यों के नामों की संख्या पांच तक सीमित रखी जानी चाहिए और इसका निर्धारण बैलट द्वारा होना चाहिए, नियम समिति ने इस सुझाव पर विचार किया किंतु वह उस पर सहमत नहीं हुई।[56]

जैसीकि कार्य मंत्रणा समिति द्वारा सिफारिश की गई थी, जो सदस्य किसी विषय को अन्य सदस्य/सदस्यों की पिछली सूचनाओं के आधार पर गृहीत कर लिए जाने के बाद उस विषय पर सूचनाएं देते हैं, उनके नामों को कार्यावलि में शामिल करने पर विचार नहीं किया जाता, जैसीकि पिछली प्रथा रही है।[57]

ऐसा कोई सदस्य जिसकी ध्यानाकर्षण सूचना किसी सप्ताह के दौरान नहीं चुनी गई है, अगले सप्ताह या सप्ताहों के दौरान उस सूचना को पुन: दे सकता है। ऐसे मामले में सूचना की पूर्ववर्तिता उस तारीख और समय के अनुसार होती है जब संबंधित सदस्य से वह सूचना सचिवालय को पुन: प्राप्त होती है और उसकी मूल या पिछली सूचना पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है जो उसी विषय पर एक सप्ताह के अंत में या अन्यथा व्यपगत हो गई हो।

> 14 दिसम्बर, 1981 को गन्ने के मूल्य के बारे में एक ध्यानाकर्षण को अनुमति देने के संबंध में एक सदस्य ने औचित्य प्रश्न उठाया कि उसने उसी विषय पर दो सप्ताह पहले सूचना दी थी जिसे गृहीत नहीं किया गया किंतु बाद में अन्य सदस्य/सदस्यों द्वारा दी गई सूचना गृहीत कर ली गई। एक अन्य सदस्य ने सुझाव दिया कि ऐसे मामले में पिछली सूचनाओं का भी ध्यान रखा जाना चाहिए और उन सदस्यों का नाम पहले आना चाहिए जिन्होंने पहले ऐसी सूचनाएं दी हों। उप-सभापति ने इस प्रक्रिया के बारे में सूचित किया कि एक सप्ताह के बाद सूचना व्यपगत हो जाती है और अगले सप्ताह नए सिरे से सूचना देनी होती है और यदि फिर से सूचना नहीं दी जाती, तो सदस्य का नाम नहीं जोड़ा जाता।[58]

सूचनाओं का व्यपगत हो जाना

जैसाकि कहा जा चुका है, सप्ताह के उस अंतिम दिन तक, जब सभा की बैठक होती है, गृहीत न की गई ध्यानाकर्षण सूचना व्यपगत हो जाती है। किसी ऐसे सदस्य की ध्यानाकर्षण सूचना भी व्यपगत हो जाती है जो राज्य सभा में अपने कार्यकाल की समाप्ति के कारण सभा का सदस्य न रह गया हो, चाहे वह पुन: चुन लिया गया हो और उसने अपनी पिछली सदस्यता के दौरान ध्यानाकर्षण की सूचना दी हो।

एक सदस्य ने शिकायत की कि उसका नाम 3 अप्रैल, 1970 के लिए गृहीत ध्यानाकर्षण में शामिल नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि उनके नाम का लोप कर देने का यह आधार कि वह 2 अप्रैल, 1970 को निवृत्त हो चुके थे, विधिमान्य नहीं है क्योंकि जब उनके तथा अन्य सदस्यों के नाम पर ध्यानाकर्षण की अनुमति दी गई थी तब वे सभा के सदस्य थे। वे मध्यरात्रि 12 बजे सदस्य नहीं रह गए थे। सभापति ने सदस्य के तर्क को स्वीकार नहीं किया और निर्णय दिया कि सदस्य ने जो सूचना दी थी वह उसकी सदस्यता के समाप्त होने के साथ व्यपगत हो गई थी। जब कार्य-सूची शुरू हुई थी तब उनके नाम से कोई सूचना नहीं थी।[59]

गृहीत सूचना के बारे में जानकारी

सभापति द्वारा ध्यानाकर्षण के लिए किसी विषय को चुन लिए जाने के बाद उन सदस्यों को, जिन्होंने सूचनाएं दी हैं और संबंधित मंत्रालय को इसके बारे में तुरंत जानकारी दी जाती है। सदस्यों को पहले से जानकारी देने के लिए स्वीकृत मद को बाहरी लॉबी के सूचना-पट्ट पर दर्शाया जाता है। इसके बाद जिस दिन के लिए सूचना गृहीत की जाती है उस दिन की कार्यावलि में इस संबंध में एक मद शामिल की जाती है।

एक दिन में एक से अधिक ध्यानाकर्षणों पर चर्चा

(1) *ध्यानाकर्षण के दो विषय*

एक ही बैठक में एक से अधिक विषयों को ध्यानाकर्षण के लिए नहीं उठाया जा सकता है।[60] एक ही दिन के लिए एक से अधिक विषय उपस्थित किए जाने की स्थिति में उस विषय को पूर्ववर्तिता दी जाती है जो सभापति की राय में अधिक अविलम्बनीय और महत्वपूर्ण होता है।[61] ऐसे कई दृष्टान्त हैं जहां एक से अधिक ध्यानाकर्षण गृहीत हुए हैं और उन पर एक ही तारीख को चर्चा हुई है और ऐसी स्थिति में अधिक अविलम्बनीय और महत्वपूर्ण विषय पहले लिया गया है और दूसरा बैठक के दौरान बाद में लिया गया है।

विगत में दो ध्यानाकर्षणों को एक ही दिन के लिए गृहीत करने की स्थिति में जो प्रक्रिया अपनाई जाती थी वह यह थी कि या तो उन्हें कार्यावलि में दिए गए क्रम के अनुसार लिया जाए।[62] या पहले ध्यानाकर्षण को प्रश्नों के बाद लिया जाए और दूसरे ध्यानाकर्षण को पत्रों को सभापटल पर रख देने और मंत्री के वक्तव्य जैसे किसी कार्य को या सरकारी विधेयक को निपटाने के बाद लिया जाए।[63] अब जो प्रथा न्यूनाधिक रूप से स्थायी हो चुकी है वह यह है कि पहले ध्यानाकर्षण को प्रश्नों और सभा पटल पर पत्रों के रखने के बाद लिया जाए और दूसरे ध्यानाकर्षण को दिन की बैठक के अंतिम भाग में लिया जाए।[64]

कुछ अवसरों पर दो सदस्यों ने अलग-अलग और एक के बाद एक ऐसे दो ध्यानाकर्षण किए जो सारत: एक ही विषय से संबंधित थे। उदाहरण के लिए एक ही दिन ऐसे दो ध्यानाकर्षण किए गए जो (1) पश्चिमी बंगाल को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न की आपूर्ति न करने और (2) मुम्बई (तत्कालीन बम्बई) से कलकत्ता पहुंचाते समय रास्ते में खाद्यान्न की हानि होने के बारे में थे और संबंधित मंत्री ने दो भागों में एक सम्मिलित वक्तव्य दिया।[65]

एक दूसरे अवसर पर दो सदस्यों ने एक के बाद एक ऐसे दो ध्यानाकर्षण किए जो (1) राज्य व्यापार निगम के माध्यम से ऑस्ट्रेलिया से आयात किए गए ऊन को खरीदने से विनिर्माताओं द्वारा इन्कार और (2) ऊन के मूल्यों में वृद्धि के बारे में थे। पहले मामले में संबंधित मंत्री द्वारा सभा पटल पर एक वक्तव्य रखा गया और दूसरे मामले में ध्यानाकर्षण के उत्तर में एक वक्तव्य दिया गया।[66]

(2) *ध्यानाकर्षण के तीन विषय*

दो अवसरों पर एक बैठक के लिए तीन ध्यानाकर्षणों की भी अनुमति दी गई थी।

17 मई, 1966 को तीन ध्यानाकर्षण किए गए और वे निम्नलिखित विषयों से संबंधित थे: (क) दिल्ली में बिजली की आपूर्ति का अस्त-व्यस्त हो जाना, (ख) 16 मई, 1966 को बारामुला में जम्मू-कश्मीर के मुख्य मंत्री की हत्या का प्रयास और (ग) निर्माण, आवास और शहरी विकास मंत्री श्री मेहर चन्द खन्ना की हत्या का प्रयास।

2 सितम्बर, 1966 को जो तीन ध्यानाकर्षण किए गए थे उनके विषय थे: (क) हमारी सीमाओं पर पाकिस्तान द्वारा सैनिकों का जमा किया जाना, (ख) असम में भारत रक्षा नियमों का अंधाधुंध प्रयोग और (ग) असम में हो रही राष्ट्र-विरोधी और तोड़-फोड़ की गतिविधियों के संबंध में वहां के मुख्य मंत्री का कथित वक्तव्य। पहले दो विषय एक के बाद एक लिए गए। तीसरे विषय के संबंध में संबंधित मंत्री ने वक्तव्य देने के लिए कुछ दिनों का समय मांगा। तद्नुसार वक्तव्य 5 सितम्बर, 1966 को दिया गया।[67]

ध्यानाकर्षण किए जाने का समय

30 जून, 1972 तक ध्यानाकर्षण को लेने की प्रक्रिया यह थी कि उसे प्रश्नों के समय के तुरंत बाद और किसी दिन की कार्यावलि में दर्ज किसी अन्य मद के लिए जाने के पहले लिया जाए। नियम समिति ने इस सुझाव पर विचार किया कि सभा पटल पर पत्रों को रखने का औपचारिक कार्य प्रश्नों के तुरंत बाद लिया जाना चाहिये और इस प्रकार सभा पटल पर पत्रों के रखे जाने के बाद ही ध्यानाकर्षण को लिया जाना चाहिये। यह सुझाव इस आधार पर दिया गया था कि ऐसा करने से मंत्री उस अनिश्चित समय तक, जब तक ध्यानाकर्षण समाप्त नहीं हो जाता सभा में प्रतीक्षा करने के बजाय अपने शासकीय कर्तव्यों को कर सकते हैं। नियम समिति इस सुझाव पर सहमत हो गई और तद्नुसार उसने नियम 180(5) में संशोधन करने की सिफारिश की।[68] यह संशोधन 1 जून, 1972 को सभा द्वारा स्वीकार किया गया।[69] यह संशोधन 1 जुलाई, 1972 से प्रभावी हुआ।[70] एक सुझाव दिया गया कि ध्यानाकर्षण को अपराह्न पांच बजे लिया जाए। नियम समिति ने इस सुझाव पर भी विचार किया किन्तु वह उस पर सहमत नहीं हुई।[71]

जैसाकि संशोधित नियम में उपबंध किया गया है, प्रस्तावित विषय प्रश्नों के बाद और सभा पटल पर पत्रों के, यदि कोई हों, रखे जाने के बाद और कार्यावलि में दर्ज किसी अन्य मद के लिए जाने के पहले लिया जाता है और उसे सभा की बैठक के दौरान किसी अन्य समय पर नहीं लिया जाता।[72] तद्नुसार ध्यानाकर्षण की मद को प्रश्नों और सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्रों के ठीक बाद कार्यावलि में दर्शाया जाता है।

3 सितम्बर, 1991 को सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय पर चर्चा के दौरान उपसभाध्यक्ष ने घोषणा की कि वाद-विवाद को उस दिन समाप्त कर दिया जाएगा और सिर्फ वक्तव्य को अगले दिन मंत्री द्वारा दिया जाएगा। एक सदस्य ने इस बात की ओर ध्यान दिलाया कि अगले दिन हरिजनों आदि पर अत्याचार के बारे में ध्यानाकर्षण होगा और उसमें सारा दिन व्यतीत हो जाएगा। उसने कहा कि यदि मंत्री को उत्तर देना ही है तो अगले दिन उन्हें सबसे पहले प्रश्नों के समय के तुरंत बाद और ध्यानाकर्षण को लिए जाने के पहले अपना उत्तर देना चाहिये। उपसभाध्यक्ष ने कहा कि बहस अपराह्न सात बजे तक जारी रहेगी और मंत्री अगले दिन उत्तर देंगे।[73] तद्नुसार 4 सितम्बर, 1991 की कार्यावलि में ध्यानाकर्षण की मद के ऊपर सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के कार्यकरण पर आगे चर्चा की मद रखी गई। नियम 180(5) का उल्लेख करते हुए एक औचित्य प्रश्न उठाया गया। कुछ चर्चा के बाद उपसभापति ने मंत्री से उत्तर देने के लिए कहा और उसके बाद ध्यानाकर्षण की मद को लिया गया।[74]

कार्य मंत्रणा समिति ने 11 मई, 1992 को हुई अपनी बैठक में सिफारिश की थी कि लोक सभा ने संविधान (72वें संशोधन) विधेयक, 1992 में जो संशोधन किया था उसे 12 मई, 1992 को ध्यानाकर्षण के पहले विचारार्थ लिया जाए।[75]

27 जुलाई, 1993 को जब उपसभापति ने संबंधित मंत्री से एक अध्यादेश का प्रख्यापन आवश्यक हो जाने के कारणों के विवरण को सभा पटल पर रखने और उसके बाद एक संबंधित विधेयक को पुर:स्थापित करने के लिए कहा तब नियम 180(5) के संदर्भ में एक औचित्य प्रश्न उठाया गया। औचित्य प्रश्न को सही ठहराया गया और ध्यानाकर्षण को ले लिया गया।[76]

जब कुछ सदस्यों ने सुझाव दिया कि बी॰सी॰सी॰आई॰ के कार्यकलापों के संबंध में जो अल्पकालिक चर्चा शनिवार, 14 सितम्बर, 1991 को समाप्त नहीं हुई थी उसे पहले लिया जाए और मूल्यों की स्थिति के संबंध में कार्यावलि में दर्ज ध्यानाकर्षण को बाद में लिया जाए तब एक सदस्य ने नियम 180 के अधीन इस पर गंभीर रूप से आपत्ति की। उपाध्यक्ष ने निर्णय दिया कि अल्पकालिक चर्चा ध्यानाकर्षण के बाद होगी।[77]

ध्यानाकर्षण का स्थगित किया जाना

जैसाकि पहले कहा जा चुका है, ध्यानाकर्षण को उस दिन लिया जाता है जिस दिन के लिए उसे कार्यावलि में दर्ज किया जाता है। तथापि, यह आवश्यक हो सकता है कि संबंधित मंत्री के अनुरोध पर[78] या सभा के किसी अत्यावश्यक कार्य के कारण[79] ध्यानाकर्षण को उसी दिन किसी और समय के लिए या अगले दिन के लिये स्थगित कर दिया जाए। यदि कोई मद कार्यावलि में प्रकाशित हो गई है और सभापति के आदेश से उसे स्थगित कर दिया जाता है तो उसे संशोधित कार्यावलि में से, यदि उसे जारी किया जाए, निकाल दिया जाता है और सभा को तद्नुसार सूचित कर दिया जाता है।

तथापि, ऐसे कई दृष्टांत हैं जब किसी मंत्री के अनुरोध पर या सभा में अधिक महत्वपूर्ण कार्य करने की अत्यावश्यकता के कारण ध्यानाकर्षण को सभा की आम राय लेकर सभा की बैठक के दौरान किसी अन्य समय पर लिया गया है। ऐसा किसी विचाराधीन सरकारी विधेयक या प्रस्ताव के निपटाए जाने के बाद या[80] मध्याह्न भोजन के अवकाश के बाद[81] या गैर-सरकारी कार्य के निपटाए जाने के बाद[82] या किसी बैठक के अंतिम भाग में[83] किया गया है।

संबंधित मंत्रियों के इस निवेदन पर कि वे दूसरे सदन में व्यस्त हैं, सभापीठ ने घोषणा की कि ध्यानाकर्षण उस दिन बाद में लिया जाएगा।[84]

एक बार जब संबंधित सदस्य ने विशाखापत्तनम् में एक इस्पात कारखाना लगाए जाने की मांग की और लोहा तथा इस्पात मंत्री का ध्यान आकर्षित किया तब उप मंत्री ने कहा कि जो वक्तव्य दिया जाने वाला है वह महत्वपूर्ण है और यह अधिक अच्छा होगा कि स्वयं मंत्री महोदय, जो विमान द्वारा शीघ्र पहुंचने वाले हैं, इस वक्तव्य को दें। अत: उन्होंने सभापति से निवेदन किया कि वे उस दिन अपराह्न में इसके लिए कुछ समय नियत करें। सभापति ने यह टिप्पणी करते हुए अपराह्न साढ़े चार बजे का समय नियत किया: ''मंत्री को पिछले विमान में सीट नहीं मिल सकी थी।''[85]

31 अगस्त, 1981 को उपसभापति ने घोषणा की कि महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री द्वारा एक न्यास के लिए निधियों के कथित रूप से एकत्र किए जाने से संबंधित ध्यानाकर्षण अगले दिन लिया जाएगा। किन्तु 1 सितम्बर, 1981 को इस ध्यानाकर्षण की बजाय देश में बिजली के संकट से संबंधित एक अन्य ध्यानाकर्षण कार्यावलि में दर्ज था। जब इस मामले को उठाया गया तब सभा के नेता ने स्पष्ट किया कि चूंकि राज्य सरकार से कतिपय तथ्यों की निश्चित रूप से जानकारी प्राप्त करनी थी इसलिए एक दिन का और समय मांगा गया और सभापति ने इसके लिए स्वीकृति दे दी।[86]

सभापति ने सभा को सूचित किया कि कपास का लाभकर मूल्य देने के लिए किसानों द्वारा किए जा रहे आंदोलन से संबंधित ध्यानाकर्षण को उस दिन के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ऋण संबंधी सरकारी प्रस्ताव को देखते हुए स्थगित कर दिया गया है।[87]

उपसभापति ने घोषणा की कि यद्यपि दिल्ली महानगर परिषद् के चुनावों और गढ़वाल संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के उप-चुनाव से संबंधित ध्यानाकर्षण विधि मंत्री को सम्बोधित है और वे उपस्थित भी हैं तथापि गृह मंत्री की तीव्र इच्छा है कि वे उसका उत्तर दें। चूंकि गृह मंत्री दूसरे सदन में व्यस्त थे इसलिए उपसभापति ने ध्यानाकर्षण को उस दिन अपराह्न तीन बजे तक के लिए स्थगित कर दिया।[88]

उपसभापति ने सूचित किया कि केन्द्र द्वारा राज्यों को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न की आपूर्ति न करने से संबंधित ध्यानाकर्षण किसी और दिन के लिए स्थगित कर दिया गया है। ध्यानाकर्षण को आखिरी समय पर स्थगित

करने पर सदस्यों ने आपत्ति की। सभा के नेता ने स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा कि संबंधित मंत्री शहर से बाहर गए हुए हैं और इसलिए वे सदन में उपस्थित नहीं हो सके हैं।[89]

उपसभापति ने सूचित किया कि दिल्ली के कतिपय भागों में जलशोथ की बीमारी के व्यापक रूप से फैलने से संबंधित ध्यानाकर्षण अपराह्न चार बजे लिया जाएगा। इसके लिए कोई कारण नहीं दिए गए।[90]

28 फरवरी, 1986 को जारी की गई कार्यावलि में मूलत: 4 मार्च, 1986 के लिए एक ध्यानाकर्षण की मद का उल्लेख किया गया था। संशोधित कार्यावलि में से इस मद को निकाल दिया गया। सभापति ने यह स्पष्ट किया कि उसे इसलिए स्थगित किया गया है ताकि सदस्यों को धन्यवाद प्रस्ताव संबंधी चर्चा में भाग लेने के लिए अधिक समय मिल सके।[91]

एक ध्यानाकर्षण अपराह्न पांच बजे लिया गया क्योंकि ''कुछ सदस्यों की यह तीव्र इच्छा थी कि वे एक विशिष्ट आगंतुक का स्वागत करने जाएंगे और वे ध्यानाकर्षण की चर्चा में भाग नहीं ले सकेंगे।''[92]

ध्यानाकर्षण की रीति

सभापीठ द्वारा बुलाए जाने पर वह सदस्य, जिसका नाम कार्यावलि में अविलम्बनीय लोक महत्व की ओर ध्यान दिलाने की मद के अंतर्गत सबसे पहले होता है, अपने स्थान पर खड़ा होता है और कार्यावलि में दिए गए पाठ के अनुसार मद में उल्लिखित मंत्री का ध्यान आकर्षित करता है। कार्यावलि में प्रकाशित पाठ ही अभिलिखित किया जाता है और यदि कोई सदस्य उसे पढ़ते समय कोई ऐसी बात जोड़ देता है जो पाठ में नहीं है तो उसकी अनुमति नहीं दी जाती है।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की निम्नलिखित मांगों को मध्यस्थ निर्णय के लिए सौंपने पर सरकार के सहमत न होने के बारे में एक ध्यानाकर्षण का विषय था: (क) महंगाई भत्ते का वेतन के साथ विलय करना, (ख) आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम वेतन देना और (ग) उसके फलस्वरूप केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के परिसंघ द्वारा हड़ताल करने का कथित निर्णय। जिस सदस्य के नाम पर ध्यानाकर्षण था उसने मद के तीसरे भाग को न पढ़ने की अनुमति मांगी क्योंकि उसने अपनी सूचना में उसका उल्लेख नहीं किया था। सदस्य की आपत्ति थी कि वह संगठन केवल एक कागजी संगठन है और उसका संयुक्त परामर्शी समिति में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। सदस्य ने यह भी कहा कि उसने भाग (ख) तक पढ़ दिया है और सभापति किसी अन्य सदस्य को बाकी भाग पढ़ने की अनुमति दे सकते हैं। जब सभापति ने इस बाकी भाग को पढ़ने के लिए उस सदस्य से कहा जिसका नाम ध्यानाकर्षण की मद के अंतर्गत दूसरे स्थान पर था तब एक अन्य सदस्य ने दलील दी कि ध्यानाकर्षण के एक भाग को एक सदस्य द्वारा पढ़ा जाना और दूसरे भाग को किसी दूसरे सदस्य द्वारा पढ़ा जाना एक नया पूर्वोदाहरण बन जाएगा। सभापति ने सुझाव दिया कि जिस सदस्य के नाम पर यह ध्यानाकर्षण है उसे बाकी भाग को भी पढ़ना चाहिए क्योंकि वे यह नहीं चाहते कि उसे दो या तीन सदस्य पढ़ें। इसके बाद सदस्य ने भाग (ग) को भी पढ़ा।[93]

एक सदस्य ने ध्यानाकर्षण करते समय कहा: ''क्या मैं गृह मंत्री का ध्यान उस प्रश्न की ओर आकर्षित कर सकता हूं जो मैंने राजस्थान और दिल्ली में सती प्रथा के समर्थन में आंदोलन किए जाने के बारे में उठाया है।'' एक सदस्य ने औचित्य प्रश्न उठाते हुए कहा कि ''ध्यानाकर्षण सभा में ठीक ढंग से नहीं रखा गया है। ध्यानाकर्षणों को उन्हीं शब्दों में पेश करना होगा जो कार्यावलि में दिए गए हैं।'' उपसभापति ने संबंधित सदस्य से कहा कि वह मद को दुबारा पढ़ें।[94]

एक सदस्य ने मंत्री का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्यावलि में उल्लिखित पाठ के बजाय अपनी मूल सूचना को पढ़ना शुरू कर दिया। सभापीठ ने उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं दी।[95]

जब आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति न होने के कारण जनता को हो रही कठिनाइयों के बारे में एक ध्यानाकर्षण पेश करने के लिए कहा गया तब सदस्य ऐसे मुद्दे उठाने लगे जो ध्यानाकर्षण की परिधि के बाहर थे। उपसभापति ने इसकी अनुमति नहीं दी।[96]

यदि वह सदस्य, जिसका नाम ध्यानाकर्षण के लिए पुकारा जाता है, अनुपस्थित होता है या वह ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता तो ध्यानाकर्षण की मद में उस सदस्य के नाम के बाद किसी दूसरे सदस्य का

नाम होने पर उस दूसरे सदस्य से ध्यान आकर्षित करने के लिए कहा जाता है। इस समय वह किसी स्पष्टीकरण के लिए नहीं कहता।

सदन के भीतर वक्तव्य की प्रतियों को परिचालित किया जाना

प्रचलित प्रथा के अनुसार मंत्री ध्यानाकर्षण के उत्तर में जो वक्तव्य देने का विचार रखता है उसकी प्रतियां मंत्री द्वारा उसे पढ़े जाने के ठीक पहले सदस्यों को उपलब्ध कराई जाती हैं। यह आवश्यक है कि वक्तव्य के हिन्दी और अंग्रेजी दोनों ही पाठ उपलब्ध किए जाएं।[97]

> प्रारंभ के दिनों में मंत्री के प्रस्तावित वक्तव्य की प्रतियों को पहले ही परिचालित करने की प्रथा नहीं थी। एक बार ध्यानाकर्षण के उत्तर में मंत्री द्वारा वक्तव्य दिए जाने के बाद एक सदस्य ने सुझाव दिया कि जब एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया गया था और मंत्री द्वारा एक लंबा वक्तव्य दिया गया था तब ''इसे पहले ही परिचालित करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए था ताकि सदस्य बातों को समझ सकें, अन्यथा उस पर चर्चा करने की कोई उपयोगिता नहीं थी क्योंकि वह एक लंबा वक्तव्य था।'' जब सभापति ने प्रथा के बारे में समझाया तब एक अन्य सदस्य ने सुझाव दिया कि चूंकि मंत्री ने बोलना शुरू कर दिया था इसलिए उनके वक्तव्य को कम से कम उन सदस्यों में परिचालित कर दिया जाना चाहिए था जिन्होंने ध्यानाकर्षण की सूचना दी थी।[98] जब 1982 में ऐसा सुझाव पुन: दिया गया तब उपसभापति ने कहा कि ऐसी कोई प्रथा नहीं है किन्तु भविष्य के लिए इस सुझाव पर विचार किया जा सकता है।[99]

ध्यानाकर्षण के उत्तर में मंत्री द्वारा वक्तव्य

(क) *वक्तव्य का दिया जाना*

किसी सदस्य द्वारा मंत्री का ध्यानाकर्षण करने के बाद संबंधित मंत्री संक्षिप्त वक्तव्य दे सकता है या बाद के समय या तारीख को वक्तव्य देने के लिए समय देने का निवेदन कर सकता है। सामान्यत: मंत्री प्रथानुसार ध्यानाकर्षण के उत्तर में एक तैयार किया हुआ वक्तव्य पढ़कर सुनाता है।

> एक बार जब एक मंत्री तैयार किए हुए वक्तव्य को पढ़ने की बजाय स्वयं उत्तर देना चाहते थे तब सभापति ने निर्णय दिया कि प्रक्रिया के अनुसार ऐसा नहीं होता और मंत्री को वक्तव्य पढ़ना पड़ा।[100]

ध्यानाकर्षण की विषय-वस्तु से संबंधित मंत्रालय के प्रभारी कैबिनेट मंत्री के सदन में उपस्थित होने पर भी वक्तव्य को किसी राज्य मंत्री द्वारा पढ़ा जा सकता है।

> एक औचित्य प्रश्न उठाया गया कि देश में सांप्रदायिक दंगों से संबंधित ध्यानाकर्षण के उत्तर में प्रारम्भिक वक्तव्य राज्य मंत्री की बजाय प्रधान मंत्री द्वारा दिया जाना चाहिए जो गृह मंत्री भी हैं और सभा में उपस्थित हैं। सभापति ने निर्णय दिया: ''नियमों के अनुसार संयुक्त दायित्व और अलग-अलग दायित्व होता है। मंत्री, जो यहां पर उपस्थित हैं, ऐसा कर सकते हैं । यदि उन्हें कुछ कठिनाई होती है तो प्रधान मंत्री स्वत: उचित समय पर उत्तर देंगे। ...यहां पर कोई औचित्य प्रश्न नहीं उठता क्योंकि दोनों में से कोई भी, राज्य मंत्री या कैबिनेट मंत्री, उत्तर दे सकता है।''[101]

चाहे ध्यानाकर्षण का विषय प्रत्यक्षत: उस मंत्री के क्षेत्र के अंतर्गत आता हो जो कार्यावलि में उल्लिखित मंत्री से भिन्न है, यह निर्णय करना सरकार का काम है कि किसी ध्यानाकर्षण को किस मंत्री को सौंपा जाए।

> एक ध्यानाकर्षण पाकिस्तान द्वारा नाभिकीय हथियारों को अर्जित और विकसित करने के प्रयास के संदर्भ में भारत के लिए नाभिकीय हथियारों का खतरा पैदा होने के बारे में था। जब विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा उसका उत्तर दिया ही जाने वाला था, एक सदस्य ने सुझाव दिया कि रक्षा मंत्री को इसका जिम्मा लेना चाहिए था। सभापति ने टिप्पणी की: ''यह निर्णय करना सरकार का काम है कि कौन इसका जिम्मा लेगा।''[102]

यदि ध्यानाकर्षण का विषय या उसके कोई पहलू एक से अधिक मंत्रियों के अधिकार-क्षेत्र में आते हैं, तो उन्हें गृहीत ध्यानाकर्षण की एक-एक प्रति भेजी जाती है ताकि सभी संबंधित मंत्री चर्चा के दौरान उपस्थित हो सकें और यदि विषय के कोई पहलू उनसे संबंधित हों तो वे उनका उत्तर दे सकें।

जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों की हड़ताल से संबंधित एक ध्यानाकर्षण का उत्तर वित्त मंत्री द्वारा दिया गया। किंतु जब कुछ सदस्यों ने कहा कि मंत्री ने कर्मचारियों की मांगों पर कार्यवाही नहीं की है और जब वित्त मंत्री ने कहा कि उन्हें पिछली रात को ही सूचना प्राप्त हुई है और श्रम तथा पुनर्वास मंत्री ने, जो सभा में उपस्थित थे, यह कहा कि उन्हें सूचना मिली ही नहीं तब दोनों मंत्रियों को समुचित रूप से सूचना देने के लिए ध्यानाकर्षण को स्थगित कर दिया गया। तद्नुसार जिस दिन के लिए ध्यानाकर्षण स्थगित किया गया था उस दिन दोनों मंत्रियों ने अपने-अपने कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले प्रश्नों का उत्तर दिया।[103]

एक ध्यानाकर्षण सूचना देश के कई भागों में प्रचार-सामग्री के साथ चीनी बैलूनों के पकड़े जाने के संबंध में थी और गृह मंत्री को संबोधित की गई थी। उसकी एक प्रति विदेश मंत्री को भी पृष्ठांकित की गई थी ''ताकि यदि विदेश मंत्री चाहें तो सभा में उपस्थित हो सकें और वाद-विवाद के बीच में बोल सकें।''[104]

एक ध्यानाकर्षण सूचना का विषय आरंभ में गढ़वाल उप-चुनाव को स्थगित करने के बारे में था और वह गृह मंत्री को संबोधित थी। उसकी शब्दावलि बदलकर उसे एक सामान्य रूप दे दिया गया और उसे विधि मंत्री को संबोधित किया गया। इस पर कुछ सदस्यों द्वारा आपत्ति किए जाने पर उपसभापति ने आदेश दिया कि समूची बहस के दौरान गृह मंत्री को भी सदन में उपस्थित रहना चाहिए। इसके बाद ध्यानाकर्षण पर चर्चा शुरू हुई।[105]

(ख) *वक्तव्य का सभा पटल पर रखा जाना*

यद्यपि सामान्यत: ध्यानाकर्षण के उत्तर में संबंधित मंत्री को वक्तव्य देना होता है तथापि कुछ अवसरों पर उसे उसके उत्तर में अपने वक्तव्य को सभा पटल पर रखने की अनुमति दी जा सकती है और सदस्य बाद में उस पर स्पष्टीकरण प्राप्त कर सकते हैं। कुछ मामलों में मंत्री एक संक्षिप्त वक्तव्य दे सकता है या वक्तव्य की मुख्य-मुख्य बातों को स्पष्ट कर सकता है और सभापीठ की अनुमति से विस्तृत वक्तव्य को सभा पटल पर रख सकता है।

एक ध्यानाकर्षण जो भारत सरकार मुद्रणालय में हड़ताल के संबंध में था, बैठक के अंतिम भाग में चर्चा के लिए पेश हुआ। उसके उत्तर में मंत्री ने अपने वक्तव्य को सभा पटल पर रखा और सदस्यों ने उस पर अगले दिन अपने-अपने स्पष्टीकरण मांगे।[106]

एक सदस्य ने पंजाब विनियोग अधिनियमों की विधिमान्यता के बारे में उच्चतम न्यायालय के निर्णय की ओर विधि मंत्री का ध्यान आकर्षित किया। जब मंत्री वक्तव्य को पढ़ने ही वाले थे, उपसभापति ने इस बात की ओर ध्यान दिलाया कि वक्तव्य लगभग आठ पृष्ठों का है और उन्होंने इस संबंध में सदस्यों की राय मांगी कि क्या उसे पढ़ा जाना चाहिए या सभा पटल पर रख दिया जाना चाहिए। सभा इस पर सहमत हो गई कि विषय तकनीकी और कानूनी है और वक्तव्य सभा पटल पर रखा जा सकता है और उस पर बाद में स्पष्टीकरण मांगे जा सकते हैं।[107]

एक ध्यानाकर्षण अमरीका, ब्रिटेन और सोवियत संघ द्वारा हिन्द महासागर में नौसैनिक अड्डों को स्थापित करने के प्रयास के बारे में था। मंत्री के अनुरोध पर उसे अपराह्न चार बजे पेश किया गया। किन्तु सदस्यों द्वारा एक और विषय उठाए जाने के कारण मंत्री वक्तव्य नहीं दे सके। उसे सभा पटल पर रखने की अनुमति दे दी गई।[108]

बेंगलूर में स्थित एच॰एम॰टी॰ में हड़ताल और तालाबंदी से संबंधित ध्यानाकर्षण के उत्तर में दिया जाने वाला वक्तव्य आठ पृष्ठों का था। मंत्री यह जानना चाहते थे कि चूंकि हड़ताल समाप्त हो चुकी है इसलिए क्या उन्हें केवल अंतिम पैराओं को पढ़ना चाहिए। वक्तव्य को सभा पटल पर रखने की अनुमति दी गई और मंत्री ने मामले से संबंधित मोटे-मोटे तथ्यों को सामने रखा।[109]

वित्त मंत्री ने सरकारी उपक्रमों में बड़े पैमाने पर निवेशों के कम किए जाने से संबंधित ध्यानाकर्षण के उत्तर में एक संक्षिप्त वक्तव्य दिया और उपसभापति की अनुमति से एक अधिक विस्तृत वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

वक्तव्य साइक्लोस्टाइल किए गए 13 पृष्ठों का था और उसके साथ एक अनुपत्र भी था।[110] कुछ दिनों बाद वक्तव्य पर सदस्यों द्वारा स्पष्टीकरण मांगे गए।[111]

(ग) *ध्यानाकर्षण के उत्तर में वक्तव्य का अलग से न दिया जाना*

कुछ अवसर ऐसे आए हैं जब मंत्रियों ने स्वयमेव लोक-महत्व के विषयों पर वक्तव्य दिए हैं और बाद में सभापति ने उन्हीं विषयों पर ध्यानाकर्षण की अनुमति दी है। ऐसी स्थिति में मंत्रियों ने ऐसे ध्यानाकर्षण के उत्तर में फिर से वक्तव्य नहीं दिए हैं और जो वक्तव्य दिए जा चुके थे उन्हीं के आधार पर ध्यानाकर्षण पर चर्चा हुई।

18 मार्च, 1980 को जब सभापति ने बताया कि गृह मंत्री मुरादाबाद में हरिजनों की झोंपड़ियों के जलाए जाने के बारे में एक वक्तव्य देने जा रहे हैं, एक सदस्य ने औचित्य प्रश्न उठाया कि चूंकि उसने इस विषय पर ध्यानाकर्षण की एक सूचना पहले ही दे दी है इसलिए मंत्री को इस ध्यानाकर्षण को लिए जाने के पहले, जिसे अगले दिन गृहीत किए जाने की संभावना है, कोई वक्तव्य देने का अधिकार नहीं है। जब सभापति ने सुझाव दिया कि मंत्री तब तक के लिए अपना वक्तव्य स्थगित कर सकते हैं तब सभा के नेता ने नियम 251 के आधार पर कहा कि चाहे ध्यानाकर्षण की कोई सूचना लंबित हो या नहीं, मंत्री को लोक-महत्व के किसी अविलंबनीय विषय पर वक्तव्य देने का अधिकार है। सभापति ने उनकी बात से सहमत होते हुए कहा कि वे अगले दिन मामले पर पूरी बहस की अनुमति देंगे। किंतु इससे सदस्यगण संतुष्ट नहीं हुए। सभापति के कक्ष में विचार-विमर्श करने के लिए सभा को मध्याह्न-भोजन के निर्धारित अवकाश से पहले स्थगित कर दिया गया। सभा के पुन: समवेत होने के बाद सभापति के निदेशानुसार मंत्री को वक्तव्य देने की अनुमति दे दी गई। ध्यानाकर्षण अगले दिन लिया गया। मंत्री ने ध्यानाकर्षण के उत्तर में कोई नया वक्तव्य नहीं दिया किंतु उन्होंने अपने पिछले वक्तव्य में कुछ तथ्यात्मक जानकारी जोड़ी।[112]

मैनपुरी (उत्तर प्रदेश) में हरिजनों की हत्या के संबंध में मंत्री ने स्वयं एक वक्तव्य दिया। अगले दिन उसी विषय पर एक ध्यानाकर्षण गृहीत किया गया। मंत्री ने यह कहते हुए ध्यानाकर्षण के उत्तर में पुन: कोई वक्तव्य नहीं दिया कि पिछले दिन अपने वक्तव्य में वे जो कुछ कह चुके हैं उसके अलावा उनके पास कहने के लिए और कुछ नहीं है। तत्पश्चात्, सदस्यों ने स्पष्टीकरण मांगे।[113]

पंजाब की स्थिति पर मंत्री ने एक वक्तव्य दिया। सदस्यों ने मांग की कि उस पर चर्चा होनी चाहिए। सदन इस पर सहमत हो गया कि मंत्री ने जो वक्तव्य दिया है उसे किसी ध्यानाकर्षण के उत्तर में दिया गया वक्तव्य माना जाएगा और सदस्य उस पर स्पष्टीकरण मांगेंगे। ध्यानाकर्षण के उत्तर में अलग से कोई वक्तव्य नहीं दिया गया और न ध्यानाकर्षण को लिए जाने के लिए औपचारिक रूप से कोई निदेश दिया गया हालांकि कार्यावलि में मंत्री के पिछले वक्तव्य पर स्पष्टीकरण दिए जाने का अनुरोध करने वाले सदस्यों के नामों का उस क्रम के अनुसार उल्लेख किया गया जिसमें ये अनुरोध प्राप्त हुए थे।[114]

पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि के संबंध में मंत्री ने एक वक्तव्य दिया। अगले दिन उसी विषय पर एक ध्यानाकर्षण गृहीत हुआ। ध्यानाकर्षण के उत्तर में अलग से कोई वक्तव्य नहीं दिया गया। किंतु तकनीकी प्रयोजनों के लिए ध्यानाकर्षण की मद कार्यावलि में दर्ज की गई और सदस्य से कहा गया कि वह औपचारिक रूप से ध्यानाकर्षण करे और उसके बाद सदस्यों ने उस पर स्पष्टीकरण मांगे।[115]

किन्तु कई बार जब मंत्री ने एक विषय पर स्वयं वक्तव्य दिया तब सभापति ने एक अगली बैठक के लिए उस विषय पर एक ध्यानाकर्षण की भी अनुमति दी और मंत्री ने ध्यानाकर्षण के उत्तर में पुन: एक नया वक्तव्य दिया।

13 मार्च, 1968 को गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री ने उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री ए॰ एन॰ ग्रोवर को छुरा मारने के संबंध में एक वक्तव्य दिया। उसी विषय पर एक ध्यानाकर्षण 14 मार्च, 1968 के लिए गृहीत किया गया और गृह मंत्री ने ध्यानाकर्षण के उत्तर में एक वक्तव्य दिया।[116]

10 मई, 1968 को गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री ने दो वक्तव्य दिए जिनमें से एक 1968 के पंजाब विनियोग अधिनियमों के संबंध में पंजाब उच्च न्यायालय के फैसले के बारे में था और दूसरा इस मामले में उच्च न्यायालय

द्वारा स्थगन आदेश देने से इंकार किए जाने के बारे में था। उच्च न्यायालय द्वारा विनियोग अधिनियमों को अधिकार से परे घोषित करने के निर्णय से पंजाब में उत्पन्न हुए संवैधानिक संकट के बारे में एक ध्यानाकर्षण 11 मई, 1968 के लिए गृहीत किया गया और गृह मंत्री ने ध्यानाकर्षण के उत्तर में एक वक्तव्य दिया।[117]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री ने 7 मार्च, 1969 को एक वक्तव्य दिया जो पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल द्वारा 6 मार्च, 1969 को पश्चिमी बंगाल विधान-मंडल की दोनों सभाओं के सदस्यों के समक्ष दिए गए अभिभाषण के संबंध में था। पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल को वापस बुलाए जाने की मांग के संबंध में केन्द्र के रवैये के संवैधानिक निहितार्थों के बारे में एक ध्यानाकर्षण 7 मार्च, 1969 के लिए गृहीत किया गया। गृह मंत्री ने ध्यानाकर्षण के उत्तर में एक वक्तव्य दिया।[118]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री ने 5 मार्च, 1982 को लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी के निदेशक की समय-पूर्व सेवानिवृत्ति के बारे में स्वयमेव एक वक्तव्य दिया। उपसभापति ने सूचित किया कि इस विषय पर एक ध्यानाकर्षण 8 मार्च, 1982 को लिया जाएगा। तद्नुसार जब उसे लिया गया तब गृह मंत्रालय के एक अन्य राज्य मंत्री ने ध्यानाकर्षण के उत्तर में एक नया वक्तव्य दिया[119] जो न्यूनाधिक रूप से पिछले वक्तव्य से मिलता-जुलता था।

(घ) *वक्तव्य देने के समय को स्थगित किया जाना*

जैसाकि कहा जा चुका है, मंत्री बाद के किसी समय या तारीख को वक्तव्य देने के लिए समय दिए जाने का अनुरोध कर सकता है।

जब एक सदस्य भारत रक्षा नियमों के प्रयोग के संबंध में उच्चतम न्यायालय की टिप्पणियों की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करने ही वाले थे तब गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री ने कहा कि वे उस दिन अपराह्न पांच बजे वक्तव्य देने के लिए उपलब्ध होंगे। जब संबंधित सदस्य ने इस पर आपत्ति की तब सभापति ने कहा: ''सरकार को समय मांगने का अधिकार है और मैंने उन्हें पांच बजे वक्तव्य देने की अनुमति दी है।'' [120]

चीन द्वारा हाइड्रोजन बम के विस्फोट के बारे में एक ध्यानाकर्षण 20 जून, 1967 के लिए गृहीत किया गया। रक्षा मंत्री ने निवेदन किया कि उन्हें अगले दिन 'सभा के उठने के पहले' वक्तव्य देने की अनुमति दी जाए क्योंकि वे उस दिन दूसरे सदन में भी वक्तव्य देने जा रहे हैं। सभापति ने घोषणा की कि वक्तव्य उस दिन अपराह्न ढाई बजे दिया जाएगा। एक सदस्य ने मंत्री द्वारा बताए गए कारण के आधार पर ध्यानाकर्षण को स्थगित करने के संबंध में एक मुद्दा उठाया। कुछ आपत्तियों के बाद सभापति ने आश्वासन दिया कि वक्तव्य अगले दिन मध्याह्न 12 बजे दिया जाएगा। तद्नुसार वक्तव्य दिया गया।[121]

उपसभापति ने घोषणा की कि नागपुर में संतरों को लेजाने के लिए वैगनों की कमी से संबंधित ध्यानाकर्षण अपराह्न दो बजे लिया जाएगा क्योंकि रेल मंत्रालय में उप-मंत्री ने इसके लिए इस आधार पर अनुरोध किया है कि ध्यानाकर्षण द्वारा मांगी गई सूचना न तो रेलवे बोर्ड के पास उपलब्ध है और न बंबई स्थित मध्य रेलवे के मुख्यालय में उपलब्ध है और इस सूचना को प्रभागीय प्रबंधक, नागपुर से प्राप्त करना होगा । जब सदन इस पर कोई निर्णय लेने वाला था तब संबंधित मंत्री सदन में आए और उन्होंने स्थिति के बारे में अपनी बात दुहराई । उपसभापति ने नियम 180 का हवाला देते हुए मंत्री द्वारा समय मांगने के अधिकार को माना किंतु यह टिप्पणी भी की: ''जब मंत्रियों को सूचित कर दिया जाता है तब उन्हें सूचना के साथ तैयार रहना चाहिए और उन्हें सामान्यत: या अनावश्यक रूप से किसी ध्यानाकर्षण को स्थगित करने का अनुरोध नहीं करना चाहिए।''[122]

जैसाकि उपसभापति के साथ हुई नेताओं की बैठक में सहमति हुई थी, महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री द्वारा निधियों के कथित रूप से एकत्र किए जाने से संबंधित ध्यानाकर्षण औपचारिक रूप से 1 सितम्बर , 1981 को लिया गया । वित्त मंत्री ने बताया कि चूंकि वे सभी तथ्यों को प्राप्त कर रहे हैं इसलिए वे अगले दिन वक्तव्य देंगे। तद्नुसार 2 सितम्बर , 1981 को वक्तव्य दिया गया।[123]

अनुपस्थित सदस्य का ध्यानाकर्षण

जिस सदस्य या जिन सदस्यों के नाम पर ध्यानाकर्षण होता है यदि वह या वे अनुपस्थित हों या कार्यावलि में दिए गए पाठ के अनुसार ध्यानाकर्षण करने से इन्कार कर देते हैं तो उस स्थिति में वक्तव्य देने या उसे

सभा पटल पर रखने के संबंध में अपनाई जाने वाली प्रथा पूरी तरह से निर्धारित नहीं हुई है।[124] कभी वक्तव्य सभा पटल पर रखे गए हैं और कभी नहीं भी रखे गए हैं।[125]

> एक ध्यानाकर्षण का विषय वास्तुकारों के उत्प्रवास के बारे में था। संबंधित सदस्य से ध्यानाकर्षण करने के लिए कहा गया किंतु उन्होंने ध्यानाकर्षण करने की बजाय कुछ अन्य बातें कहने का प्रयास किया ।
>
> उपसभापति ने इसकी अनुमति नहीं दी किंतु वह सदस्य बोलते रहे और उपसभापति ने आदेश दिया कि उनकी बात को अभिलिखित न किया जाए । जब उस सदस्य से ध्यानाकर्षण करने के लिए कहा गया जिसका नाम ध्यानाकर्षण की मद में दूसरे स्थान पर था तब उन्होंने भी विषय की ओर ध्यान आकर्षित नहीं किया। उपसभापति ने घोषणा की: ''अब कोई कार्य नहीं हैं । मंत्री महोदय जा सकते हैं'' और उन्होंने कार्यावलि में दर्ज अगली मद को ले लिया।[126]
>
> गन्ने के मूल्यों के संबंध में एक ध्यानाकर्षण एक ही सदस्य के नाम पर था और वह उपस्थित नहीं थे, जब एक अन्य सदस्य ने यह निवेदन किया कि सभापीठ अपने विवेक का प्रयोग करें और अन्य सदस्यों को स्पष्टीकरण मांगने की अनुमति दें तो उपसभापति ने यह कह कर ऐसा करने से इंकार किया कि केवल वही सदस्य ध्यानाकर्षण कर सकता है जिसके नाम पर ध्यानाकर्षण है; उसके बाद ही अन्य सदस्य प्रश्न पूछ सकते हैं। चूंकि सदस्य उपस्थित नहीं था इसलिए ध्यानाकर्षण नहीं लिया जा सका।[127]
>
> एक ध्यानाकर्षण आवश्यक वस्तुओं की अपर्याप्त आपूर्ति के बारे में था और जिन सदस्यों के नाम पर यह ध्यानाकर्षण था, जब उन्होंने ध्यानाकर्षण करने के बजाय ऐसी बातों को उठाना शुरू कर दिया जो उससे संबंधित नहीं थीं तब उपसभापति ने उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं दी। ध्यानाकर्षण उस दिन या किसी अगले दिन नहीं लिया जा सका।[128]

स्पष्टीकरण मांगने के लिए प्रक्रिया

जब वक्तव्य दिया जा रहा हो तब उस पर कोई बहस नहीं हो सकती।[129] किंतु सदस्यों को वक्तव्य पर स्पष्टीकरण मांगने की अनुमति है। सबसे पहले ध्यानाकर्षण को आरंभ करने वाला सदस्य स्पष्टीकरण मांगता है। ध्यानाकर्षण करने वाले सदस्य को सात मिनट से अधिक नहीं लेने चाहिए और सभापति द्वारा पुकारे जाने वाले प्रत्येक अन्य सदस्य को पांच मिनट से अधिक नहीं लेने चाहिए और उन्हें ध्यानाकर्षण के विषय पर केवल स्पष्टीकरण मांगने तक ही अपने आपको सीमित रखना चाहिए और लंबा भाषण देने से बचना चाहिए।

> जुलाई, 1979 में यह निर्णय किया गया कि ध्यानाकर्षण आरंभ करने वाले सदस्य को पांच मिनट से अधिक समय नहीं दिया जाना चाहिए।[130] 19 जून, 1980 को हुई नेताओं की एक बैठक में इस प्रक्रिया की समीक्षा की गई और यह निर्णय किया गया कि ध्यानाकर्षण आरंभ करने वाले सदस्य को सात मिनट से अधिक समय नहीं लेना चाहिए। सभापति ने सभा में तद्नुसार घोषणा की।[131]

स्पष्टीकरण मांगने के लिए सदस्यों के पुकारे जाने का क्रम

जब कोई ध्यानाकर्षण अनेक सदस्यों के नाम पर होता है तब स्पष्टीकरण चाहने वाले सदस्यों के चयन का पहला सिद्धांत दल/समूह (पार्टी/ग्रुप) होता है। सूचना देने वाले सदस्यों के दलों/समूहों को प्रत्येक दल/समूह में से एक-एक सदस्य को पुकारकर निबटा लेने के बाद सभापति उन दलों/समूहों के सदस्यों को बुला सकता है जो सूची में नहीं हैं।[132] दूसरे शब्दों में, सदस्यों के नाम उस क्रम से नहीं पुकारे जाते जिस क्रम में वे कार्यावलि में दिए जाते हैं। सभापति उन सभी सदस्यों को बुलाने के लिए भी बाध्य नहीं हैं जिनके नाम कार्यावलि में दिए होते हैं। जहां तक छोटे समूहों (ग्रुपों) का संबंध है, कार्य मंत्रणा समिति ने अन्य बातों के साथ यह सिफारिश की थी कि कम से कम पाँच सदस्यों वाले प्रत्येक दल या समूह में से एक-एक सदस्य को स्पष्टीकरण मांगने की अनुमति दी जानी चाहिए। पांच से कम सदस्यों वाले समूह और निर्दलीय सदस्यों तथा अन्य सदस्यों में से एक सदस्य को चक्रानुक्रम से अनुमति देकर प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए।[133]

तथापि, जब इस सिफारिश की घोषणा हुई तब कुछ सदस्यों ने इस प्रथा को अपनाए जाने पर अपनी शंकाएं व्यक्त कीं।[134]

> कार्य मंत्रणा समिति ने 16 जुलाई, 1991 को हुई अपनी बैठक में ध्यानाकर्षण पर स्पष्टीकरण मांगने के संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया पर विचार किया और सिफारिश की कि किसी ध्यानाकर्षण पर स्पष्टीकरण मांगने के संबंध में प्रत्येक दल/समूह में से एक-एक सदस्य को अनुमति देने की पिछली प्रथा को जारी रखा जाए।[135]
>
> एक बार सूची में से छह सदस्यों के बोलने के बाद सभापति ने कहा कि वे अन्य दलों में से भी एक-एक सदस्य को अनुमति देंगे।[136] एक दूसरे अवसर पर सभापति का कहना था: ''मैं यह देखने का प्रयास कर रहा हूँ कि प्रत्येक राजनैतिक दल को, जो यहां पर है, मौका मिले। मैं एक ही दल के तीन या चार सदस्यों को खड़े होने और बोलने की अनुमति नहीं दे सकता।''[137] एक बार उपसभापति ने टिप्पणी की: ''एक पिछली परंपरा का अनुसरण करते हुए मैंने प्रत्येक दल में से एक सदस्य को बुलाया है। कांग्रेस दल में से पांच सदस्य हैं, मैंने एक को बुलाया है।''[138]

ध्यानाकर्षण के संबंध में स्पष्टीकरण मांगने के लिए सदस्यों के नामों को पुकारने में जिस प्रथा का अनुसरण किया जाता है वह निम्नलिखित उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगी।

उदाहरण

> मान लीजिए कार्यावलि में ध्यानाकर्षण की मद के अंतर्गत 15 सदस्यों के नाम निम्नलिखित क्रम से दिए गए हैं:
>
> > पहले 3 'क' दल के हैं, अगले 2 'ख' दल के हैं, अगले 4 'ग' दल के हैं, अगले 2 पुन: 'क' दल के हैं, अगला 1 'घ' दल का है, अगले 2 'ङ' दल के हैं और अंतिम 1 पुन:'ख' दल का है।
>
> पहला सदस्य जो 'क' दल का है, सबसे पहले ध्यान आकर्षित करेगा और ध्यानाकर्षण के उत्तर में मंत्री के वक्तव्य के बाद स्पष्टीकरण मांगेगा। सूची में उल्लिखित उसी दल के अन्य सदस्यों को नहीं बुलाया जाएगा और अगला सदस्य 'ख' दल में से बुलाया जायेगा और यही क्रम चलता रहेगा। ध्यानाकर्षण की मद के अंतर्गत उल्लिखित सदस्यों के दलों में से प्रत्येक दल के एक-एक सदस्य को निबटाने के बाद सभापति अन्य सदस्यों द्वारा स्पष्टीकरण मांगने के अनुरोध पर विचार कर सकता है। यदि किसी दल का नेता/सचेतक कार्यावलि में उल्लिखित सदस्य के स्थान पर उस सदस्य को लाना चाहता है जिसके नाम का कार्यावलि में उल्लेख नहीं किया गया है तो वह कार्यावलि में दर्ज अपने दल के सदस्य की बारी आने पर नहीं बल्कि कार्यावलि में दर्ज सभी नामों के निबटाये जाने पर ही बोल सकेगा।

इस संदर्भ में नियम समिति ने इस सुझाव पर विचार किया कि ध्यानाकर्षण की मद के अंतर्गत सदस्यों के नामों की संख्या पांच तक सीमित कर देनी चाहिए और इसका निर्धारण बैलट द्वारा होना चाहिए और केवल उन्हीं सदस्यों को स्पष्टीकरण के लिए बुलाया जाना चाहिए जिनके नाम कार्यावलि में दर्ज हैं और दल की सूची के आधार पर किसी अन्य सदस्य को नहीं बुलाया जाना चाहिए। समिति के निदेशानुसार इस सुझाव को राज्य सभा में विभिन्न दलों और समूहों में परिचालित किया गया ताकि उस पर उनकी राय ली जा सके। नेताओं ने सुझाव को स्वीकार नहीं किया। अत: नियम समिति ने सिफारिश की कि नामों को मिलाने और स्पष्टीकरण मांगने के लिए सदस्यों को बुलाने की वर्तमान प्रथा जारी रह सकती है।[139]

स्पष्टीकरणों का स्थगित किया जाना

कभी-कभी विषय के महत्व को देखते हुए या ध्यानाकर्षण के उत्तर में मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य का सदस्यों द्वारा अध्ययन किए जा सकने के लिए सभा उस पर स्पष्टीकरण मांगे जाने को स्थगित करने का निर्णय ले सकती है।[140]

स्पष्टीकरण मांगे जाने के लिए समय-सीमा

अगस्त, 1970 में सभापति के साथ दलों/समूहों के नेताओं की जो बैठक हुई थी उसमें यह निर्णय किया गया था कि ध्यानाकर्षण आरंभ करने वाले सदस्य को पांच मिनट से अधिक समय नहीं लेना चाहिए और स्पष्टीकरण मांगने के लिए अन्य सदस्यों को दिया जाने वाला समय सभापीठ के विवेक के अधीन होना चाहिए।[141] इसके बाद प्रक्रिया को सुचारु बनाने के लिए 19 जून, 1980 को नेताओं की जो बैठक हुई उसमें स्पष्टीकरण मांगने के लिए समय-सीमा के संबंध में आम राय यह थी कि ध्यानाकर्षण आरंभ करने वाले सदस्य को सात मिनट से अधिक समय नहीं लेना चाहिए और सभापीठ द्वारा बुलाए गए प्रत्येक सदस्य को पांच मिनट से अधिक समय नहीं लेना चाहिए और स्वयं को स्पष्टीकरण मांगने तक ही सीमित रखना चाहिए और लंबे भाषण नहीं देने चाहिए।[142]

स्पष्टीकरणों का उत्तर

अस्सी के दशक के प्रारंभिक वर्षों तक प्रथा यह थी कि किसी सदस्य द्वारा मांगे गए प्रत्येक स्पष्टीकरण के लिए मंत्री को अलग से उसका उत्तर देना पड़ता था।[143] तथापि, कभी-कभी सभा सभी स्पष्टीकरणों के अंत में मंत्री द्वारा उनका उत्तर देने पर सहमत हो जाया करती थी।

> एक बार ध्यानाकर्षण का विषय था: अलीगढ़ की घटनाओं के विशेष संदर्भ में देश में सांप्रदायिक दंगे। यह सुझाव दिया गया कि इस विषय के महत्व को देखते हुए प्रधान मंत्री को सभी स्पष्टीकरणों का उत्तर अंत में देना चाहिए। इस सुझाव को स्वीकार कर लिया गया।[144]

> एक दूसरे अवसर पर सभापति ने घोषणा की कि जैसीकि नेताओं की सहमति है, ध्यानाकर्षण एक घंटे के भीतर समाप्त हो जाना चाहिए और किसी सदस्य को पांच मिनट से अधिक समय नहीं लेना चाहिए। भूतपूर्व महासचिव और तत्कालीन सदस्य श्री बी॰ एन॰ बनर्जी ने टिप्पणी की: ''ध्यानाकर्षण में सामान्य प्रथा यह है कि सदस्यगण बोलते हैं और मंत्री उत्तर देते हैं। चूंकि आप समय को इसलिए सीमित कर रहे हैं ताकि सदस्यगण अपने विचार व्यक्त कर सकें इसलिए यह अधिक अच्छा होगा कि सदस्यगण अपनी बात कहें और एक विशेष मामले के रूप में मंत्री अपना उत्तर अंत में दें।'' सभापति ने मंत्री को निदेश दिया कि वे इन बातों का ध्यान रखें और सभी बातों का उत्तर एक साथ दें।[145]

15 सितम्बर, 1981 को हुई नेताओं की बैठक में इस पर सहमति हुई कि एक विशेष मामले के रूप में मंत्री सभी स्पष्टीकरणों के उत्तर अंत में देंगे।[146] उपसभापति ने 20 अक्तूबर, 1982 को दिल्ली विश्वविद्यालय में हड़ताल से संबंधित ध्यानाकर्षण के आरंभ में घोषणा की:

> इस पर सहमति हो गई है कि सदस्यगण अपनी बात कहेंगे, प्रश्न पूछेंगे और स्पष्टीकरण मांगेंगे और अंत में एक ही बार में उत्तर दिया जाएगा... इस पर सभी दल सहमत हैं...नेता सहमत हैं।[147]

किन्तु 1983 में प्रत्येक स्पष्टीकरण का अलग-अलग उत्तर देने की प्रथा का पुन: अनुसरण किया जाने लगा।[148] एक बार सभी स्पष्टीकरणों का एक साथ उत्तर देने के सुझाव पर सहमति नहीं हुई।[149] 15 मार्च, 1983 को कुछ समय तक अलग-अलग उत्तर दिए जाते रहे और अंतिम चरण में उपसभाध्यक्ष के सुझाव पर ''समय बचाने की आवश्यकता के कारण'' स्पष्टीकरणों का एकमुश्त उत्तर दिया गया।[150] 21 दिसम्बर, 1983 को ध्यानाकर्षण आरंभ करने वाले सदस्य द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरणों के प्रथम उत्तर के बाद उपसभापति के सुझाव पर अन्य सदस्यों के स्पष्टीकरणों का इकट्ठा उत्तर दिया गया।[151] एक बार सदस्यों ने एक दिन स्पष्टीकरण मांगे और मंत्री ने उनका उत्तर किसी बाद के दिन दिया।[152] एक अन्य अवसर पर, जो संभवत: एक मात्र ऐसा अवसर था, सभा द्वारा साढ़े तीन घंटों तक ध्यानाकर्षण पर चर्चा होने के बाद चर्चा बंद कर दी गई क्योंकि संबंधित मंत्री को लोक सभा में अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान के लिए जाना था। चर्चा का कोई निष्कर्ष नहीं निकला।[153]

वर्तमान प्रथा, जिसका 1984 से अनुसरण किया जा रहा है, यह है कि जिन सदस्यों को मंत्री के वक्तव्य पर स्पष्टीकरण मांगने की अनुमति दी गई है उनके स्पष्टीकरणों के बाद मंत्री एक साथ ही उन सबका उत्तर दे सकता है ।[154]

वक्तव्यों का संशोधन या मुद्दों के बारे में और स्पष्टीकरण

कई बार ऐसा हुआ है कि मंत्रियों ने ध्यानाकर्षण के उत्तर में या उस पर चर्चा के दौरान या मुद्दों को और स्पष्ट करने के लिए उनके द्वारा दिए गए पिछले वक्तव्यों में संशोधन करने के लिए वक्तव्य दिए हैं। ऐसे वक्तव्य सभा में दिए गए हैं या सभा पटल पर रखे गए हैं। ऐसे वक्तव्यों को कार्यावलि में उल्लिखित ध्यानाकर्षण के बाद, यदि कोई हों, या प्रश्नों के समय के समाप्त होने के तुरंत बाद देने या सभा पटल पर रखने की अनुमति दी गई है।

> तत्कालीन उप प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री (श्री मोरारजी आर० देसाई) ने भारतीय दूतावास, वाशिंगटन के प्रचार सलाहकार के ठेके के नवीकरण से संबंधित ध्यानाकर्षण के उत्तर में 29 मार्च, 1967 को राज्य सभा में एक वक्तव्य दिया। उन्होंने इस वक्तव्य के संबंध में उठाए गए कतिपय मुद्दों के संबंध में 3 अप्रैल, 1967 को एक वक्तव्य दिया।[155]
>
> 31 जुलाई, 1967 को ध्यानाकर्षण के द्वारा उठाए गए मुद्दे से उत्पन्न होने वाले कतिपय प्रश्नों का उत्तर देते हुए पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री ने एक वक्तव्य दिया। उन्होंने 18 अगस्त, 1967 को इस आश्वासन के संबंध में एक वक्तव्य दिया।[156]
>
> 28 अगस्त, 1970 को गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री ने 3 अगस्त, 1970 को किए गए ध्यानाकर्षण के उत्तर में दिए गए अपने पिछले वक्तव्य के संशोधनार्थ एक वक्तव्य दिया।[157]
>
> वित्त मंत्रालय में उपमंत्री ने 19 मई, 1970 को किए एक ध्यानाकर्षण के उत्तर में अपने पिछले वक्तव्य के संशोधनार्थ 3 सितम्बर, 1970 को एक वक्तव्य दिया।[158]
>
> शिक्षा तथा युवा सेवाओं के मंत्री ने 10 अगस्त, 1970 को किए गए ध्यानाकर्षण के उत्तर में दिए गए अपने पिछले वक्तव्य के संशोधनार्थ एक वक्तव्य 4 सितम्बर, 1970 को सभा पटल पर रखा।[159]
>
> पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री ने 17 मार्च, 1970 को किए गए ध्यानाकर्षण के उत्तर में दिए गए वक्तव्य से उत्पन्न होने वाले कतिपय प्रश्नों के उत्तर दिए। उन्होंने अपने उत्तरों के संशोधनार्थ 11 नवम्बर, 1970 को एक वक्तव्य दिया।[160]
>
> 30 जुलाई, 1971 को कार्यावलि में दर्ज ध्यानाकर्षण के निपटाए जाने के बाद गैर-सरकारी क्षेत्र में लघु इस्पात कारखानों की स्थापना के लिए औद्योगिक लाइसेंस देने के मुद्दे पर इस्पात तथा खान मंत्री द्वारा राज्य सभा में 10 जून, 1971 को ध्यानाकर्षण वक्तव्य के दौरान दिए गए उत्तर और लोक सभा में 27 मई, 1971 को अतारांकित प्रश्न सं० 472 के उत्तर के बीच विसंगतियां होने के बारे में एक सदस्य को स्पष्टीकरण मांगने की अनुमति दी गई। संबंधित मंत्री ने उठाए गए प्रश्नों का उत्तर दिया।[161]

ध्यानाकर्षण समाप्त करने में लगने वाला समय

राज्य सभा में दलों/समूहों के नेताओं की 1970 में हुई एक बैठक में अन्य बातों के साथ यह निर्णय किया गया कि सामान्यत: एक ध्यानाकर्षण में तीस मिनट से अधिक समय नहीं लगना चाहिए और किसी भी स्थिति में उसे सभा के मध्याह्न भोजन के अवकाश के लिए स्थगित होने के पहले निपटा लिया जाना चाहिए। सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति ने सिफारिश की कि इस प्रयोजन के लिए एक घंटे से अधिक समय नहीं लिया जाना चाहिए। इस समय के समाप्त होने के बाद यह निर्णय करना पूर्णत: सभापीठ के विवेक पर छोड़ दिया जाना चाहिए कि चर्चा में भाग लेने के इच्छुक किसी अन्य सदस्य को अनुमति दी जाए या नहीं। किसी भी स्थिति में ध्यानाकर्षण की व्यवस्था इस प्रकार की होनी चाहिए कि कार्यावलि में विधायी

या अन्य नियमित कार्य के अलावा अन्य सभी फुटकर कार्यों को सभा के मध्याह्न भोजन के अवकाश के लिए स्थगित होने के पहले निपटा लिया जाए।[162]

इन सिफारिशों के होते हुए भी कई बार ध्यानाकर्षण के विषय सभा के मध्याह्न भोजन के अवकाश के बाद भी चलता रहा है या सारे दिन चलता रहा है या विषय के महत्व को देखते हुए या सभा की आम राय से अगले दिन या उससे भी अगले दिन तक चलता रहा है।[163] पिछले 15 वर्षों में ध्यानाकर्षण के जिन महत्वपूर्ण विषयों पर सभा में चार घंटे या उससे अधिक समय लगा उनमें से कुछ इस प्रकार थे:

जीवन बीमा निगम के विकास अधिकारियों की हड़ताल (4.04 घंटे);[164] जमशेदपुर में हुए उपद्रव (दो दिन–9.33 घंटे);[165] अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को हथियारों की सहायता (4.34 घंटे);[166] बिहार शरीफ में और उसके आसपास हुई सांप्रदायिक घटनाएं (4.32 घंटे);[167] महाराष्ट्र के कतिपय न्यासों को आयकर से छूट देने में अनियमितताएं (दो दिन–5.32 घंटे);[168] तमिलनाडु में बड़े पैमाने पर हरिजनों को इस्लाम धर्म ग्रहण कराया जाना (4.46 घंटे);[169] निर्वाचन विधि की कमियां (4 घंटे);[170] फिल्मों में हिंसा और अश्लीलता (4.30 घंटे);[171] बाढ़ और सूखा (4 घंटे);[172] जम्मू-कश्मीर में हुई घटनाएं (6.08 घंटे);[173] पंजाब समझौते का अमल में न लाया जाना (4.11 घंटे);[174] जी॰एन॰एल॰एफ॰ का आंदोलन (4.43 घंटे);[175] फेयरफैक्स एजेन्सी की नियुक्ति (5.16 घंटे);[176] जन-संचार माध्यमों का कार्यकरण (4.16 घंटे);[177] सांप्रदायिक घटनाएं (5.00 घंटे);[178] आवश्यक वस्तुओं की अपर्याप्त आपूर्ति (5.24 घंटे);[179] सांप्रदायिक स्थिति (तीन दिन – 9.14 घंटे);[180] हथकरघा बुनकरों की दुर्दशा (4.17 घंटे);[181] मूल्य स्थिति (4.53 घंटे);[182] सूखे की स्थिति (4.37 घंटे);[183] मुम्बई में 12 मार्च, 1993 को हुए विस्फोट (6.20 घंटे);[184] जम्मू-कश्मीर की स्थिति (5.22 घंटे);[185] बाढ़ की स्थिति (4.03 घंटे);[186] सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश का कम किया जाना (तीन दिन–4.00 घंटे);[187] सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए निधियां (4.51 घंटे);[188] ऊर्जा क्षेत्र में विदेशी निवेश के संदर्भ में सरकार द्वारा दी गई प्रति- गारंटी और आश्वासन विषयक प्रणाली (4.52 घंटे);[189] पुरुलिया में विमानों द्वारा घातक शस्त्रों के गिराये जाने से राष्ट्रीय सुरक्षा को उत्पन्न खतरे की स्थिति (4.05 घंटे);[190] पूर्वोत्तर राज्यों में बढ़ते हुए विद्रोह की स्थिति (5 घंटे);[191] पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा 45,000 करोड़ रुपये की राशि का 'वैयक्तिक लैजर खाता' में अंतरण (4.30 घंटे);[192] एयर इंडिया का घटिया कार्य-निष्पादन और कुप्रबंध (4.14 घंटे);[193] और जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में आंतरिक सुरक्षा संबंधी समस्या (4.13 घंटे)[194]।

ध्यानाकर्षण को चर्चा में परिवर्तित किया जाना

कई बार विषय के महत्व या सभा की आम राय या लगातार मांग को देखते हुए ध्यानाकर्षणों का संबंधित मंत्रियों द्वारा उत्तर दिए जाने के बाद ऐसे ध्यानाकर्षणों को प्रस्तावों के रूप में[195] या अल्पकालिक चर्चा के रूप में[196] परिवर्तित कर दिया गया है। ऐसी चर्चाएं ध्यानाकर्षण करने के दिन या उसके अगले दिन या उसके बाद के दिन को हुई हैं।

चुनावों में विदेशी धन के उपयोग के संबंध में आसूचना ब्यूरो के प्रतिवेदन से संबंधित ध्यानाकर्षण के उत्तर में गृह मंत्री ने बताया कि प्रतिवेदन हाल ही में प्राप्त हुआ है और उस पर ध्यानपूर्वक विचार किया जा रहा है और सरकार को उसके आधार पर निष्कर्ष निकालने में समय लगेगा। सभापति ने इस वक्तव्य के संबंध में कुछ और कहने की अनुमति नहीं दी और सभा को यह सूचना दी कि इस पर उसी दिन अपराह्न 4.00 बजे एक चर्चा होगी। यह चर्चा उसी सदस्य ने आरंभ की जिसने ध्यानाकर्षण किया था।[197]

एक सदस्य ने देश में सी॰ आई॰ ए॰ की गतिविधियों के बारे में सी॰ आई॰ ए॰ के एक भूतपूर्व व्यक्ति द्वारा किए गए रहस्योद्घाटनों की ओर ध्यान आकर्षित किया और मंत्री ने उसके संबंध में एक वक्तव्य दिया। स्पष्टीकरणों के दौरान एक सदस्य ने सुझाव दिया कि सभा में इस मामले पर पूर्ण रूप से चर्चा होनी चाहिए। सभापति इस सुझाव पर सहमत हो गए और ध्यानाकर्षण को आगे नहीं बढ़ाया गया।[198] तद्नुसार एक सदस्य द्वारा रखे गए प्रस्ताव के बाद मामले पर चर्चा हुई।[199]

पश्चिमी बंगाल विधान सभा के भीतर पुलिसकर्मियों द्वारा बलात् प्रवेश किए जाने से संबंधित ध्यानाकर्षण के बीच में कुछ सदस्यों ने सुझाव दिया कि मामले पर पूर्ण रूप से चर्चा करना आवश्यक है। इस सुझाव पर सहमति हो गई और ध्यानाकर्षण को आगे नहीं बढ़ाया गया। अगले दिन इस विषय पर अल्पकालिक चर्चा हुई।[200]

राज्य सभा के द्विवार्षिक चुनावों में धन-बल के उपयोग के आरोपों और संसदीय लोकतंत्र के कार्यकरण और उसकी सुरक्षा के संबंध में उसके निहितार्थों के बारे में एक ध्यानाकर्षण के उत्तर में मंत्री ने एक वक्तव्य दिया। कुछ सदस्यों के सुझाव पर सभापति इस विषय पर चर्चा कराने पर सहमत हो गए। 4 अप्रैल, 1970 को सभा के अनियत दिन के लिए स्थगित होने के पूर्व उपसभाध्यक्ष ने घोषणा की कि चर्चा अगले सत्र (72वें सत्र) में होगी। तथापि, 73वें सत्र के दौरान 28 जुलाई, 1970 को इस पर एक अल्पकालिक चर्चा हुई।[201]

शरणार्थियों के आने के संबंध में एक ध्यानाकर्षण 27 जुलाई, 1970 के लिए गृहीत हुआ और मंत्री ने उसके उत्तर में एक वक्तव्य दिया। सभा में मांग उठी कि इस विषय पर सम्पूर्ण रूप से विचार हो। सभापति ने उसी दिन पत्रों के सभा पटल पर रखे जाने के बाद इस विषय पर चर्चा कराने की अनुमति दे दी। उस सदस्य ने, जो पहले इस विषय की ओर ध्यान आकर्षित कर चुके थे, शरणार्थियों के आगमन पर विचार कराने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया। चर्चा के बाद सभा ने प्रस्ताव को संशोधित रूप से स्वीकृत किया।[202]

तमिलनाडु और पांडिचेरी में बाढ़ के कारण जान-माल की भारी हानि की ओर संबंधित सदस्य द्वारा ध्यान आकर्षित किए जाने के पहले सभापति ने सूचित किया कि अनेक सदस्यों के सुझाव पर वे ध्यानाकर्षण में देश के कतिपय भागों में बाढ़ की स्थिति को भी शामिल करके उसके दायरे को बढ़ाने के लिए सहमत हो गए हैं ताकि ध्यानाकर्षण के अंतर्गत तमिलनाडु में आई बाढ़ ही नहीं बल्कि सूखे और बाढ़ दोनों से उत्पन्न स्थिति आ सके। अत: संबंधित सदस्य ने इसी प्रकार विषय की ओर ध्यान आकर्षित किया। इसके बाद सभापति ने यह भी घोषणा की कि चूंकि दायरे को बढ़ा दिया गया है इसलिए इस विषय को ध्यानाकर्षण के रूप में नहीं बल्कि अल्पकालिक चर्चा के रूप में लिया जाना चाहिए। मंत्री द्वारा वक्तव्य देने के बाद उपसभापति ने बताया कि चूंकि यह अल्पकालिक चर्चा है इसलिए सदस्यों के नामों को दल-वार पुकारा जाएगा किन्तु जिस सदस्य ने ध्यानाकर्षण किया है वह चर्चा को भी आरंभ करेगा। इसके पश्चात् ध्यानाकर्षण पर अल्पकालिक चर्चा के रूप में बहस हुई।[203]

एक बार मूल्य स्थिति के संबंध में एक ध्यानाकर्षण सूचना गृहीत करके कार्यावलि में शामिल की गई। किन्तु संशोधित कार्यावलि में विषय का उल्लेख अल्पकालिक चर्चा के अंतर्गत किया गया था। ध्यानाकर्षण कुछ सदस्यों के नाम पर था, अल्पकालिक चर्चा कुछ और सदस्यों के नाम पर थी।[204]

नई दिल्ली में 6 अप्रैल, 1970 को पुलिस द्वारा एस॰ एस॰ पी॰ के प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज करने और उन पर आंसू गैस छोड़ने से संबंधित ध्यानाकर्षण के उत्तर में गृह मंत्री ने 27 अप्रैल, 1970 को एक वक्तव्य दिया। 28 अप्रैल, 1970 को एक सदस्य ने गृह मंत्री के वक्तव्य पर विचार करने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव निम्नलिखित रूप में स्वीकृत हुआ:

> 27 अप्रैल, 1970 को राज्य सभा में गृह मंत्री द्वारा दिये गए वक्तव्य पर विचार किया जाए और उस पर विचार करने के बाद यह सभा नई दिल्ली में पटेल चौक में और उसके आस-पास हुए एस॰एस॰पी॰ के प्रदर्शन के संबंध में 6 अप्रैल, 1970 को हुई घटनाओं पर गंभीर चिंता व्यक्त करती है।[205]

कभी-कभी सभापति किसी ध्यानाकर्षण को औपचारिक रूप से अल्पकालिक चर्चा में परिवर्तित किए बिना ही सदस्यों की इच्छा को देखते हुए और अधिक सदस्यों को बोलने की अनुमति दे सकते हैं।[206]

न्यायालय में विचाराधीन मामले पर ध्यानाकर्षण

केरल में मध्यावधि चुनाव कराने के सरकार के निर्णय से संबंधित एक ध्यानाकर्षण के बारे में इस आधार पर औचित्य प्रश्न उठाया गया कि मामला उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। सभापति ने निर्णय दिया:

> ध्यानाकर्षण कोई प्रस्ताव नहीं है। इस पर चर्चा नहीं होती। जो सदस्य सरकार का ध्यान आकर्षित करते हैं वे सरकार से यह जानना चाहते हैं कि तथ्य क्या हैं और सर्वोच्च स्तर पर सरकार की स्थिति क्या है... कोई चर्चा नहीं की जाती। ध्यानाकर्षण में सरकार द्वारा स्पष्टीकरण के लिए केवल प्रश्न पूछे जाते हैं।''[207]

एक अन्य अवसर पर एक अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा कराने के भारतीय चिकित्सा परिषद् के निर्णय से संबंधित ध्यानाकर्षण के गृहीत किए जाने के बारे में मंत्री ने ध्यानाकर्षण के उत्तर में वक्तव्य देते हुए बताया कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है और उन्होंने सचिवालय को पहले ही इसकी सूचना दे दी है और वे यह नहीं जानतीं कि उसे गृहीत क्यों किया गया है। तथापि, चूंकि ध्यानाकर्षण गृहीत कर लिया गया था इसलिए मंत्री को वक्तव्य देना पड़ा। किन्तु करीब एक घंटे तक चले स्पष्टीकरणों के उत्तर में मंत्री ने सिर्फ यही कहा: ''मैं अपने वक्तव्य के अलावा और कुछ भी नहीं कहूंगी.....क्योंकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगी कि वे इस पर आग्रह न करें।''[208]

ध्यानाकर्षण के माध्यम से उठाए गए महत्वपूर्ण विषय

राज्य सभा नियमों में ध्यानाकर्षण संबंधी प्रक्रिया का समावेश हुए तीन दशकों से अधिक समय हो गया है तबसे सदन में ध्यानाकर्षण के माध्यम से अनेक विषय उठाए गए हैं। सभा में इस प्रकार उठाए गए संवैधानिक, निर्वाचन संबंधी, न्यायिक और अन्य विविध विषयों में से कुछ विषय नीचे दिये गए हैं:

(क) *संवैधानिक विषय*

मध्यावधि चुनावों में केरल विधान सभा के लिए निर्वाचित कई सदस्यों का निरुद्ध किया जाना और उस राज्य में सरकार बनाए जाने की सामान्य संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसरण पर उसका प्रभाव;[209] 26 फरवरी, 1966 को राजस्थान विधान सभा में राजस्थान के राज्यपाल के अभिभाषण के समय उनके द्वारा विधान सभा के कतिपय सदस्यों को बाहर निकालने का आदेश दिए जाने की कार्यवाही के संवैधानिक निहितार्थ;[210] राजस्थान के राज्यपाल द्वारा उस राज्य में गैर-कांग्रेसी दलों को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने से इनकार किया जाना और वहां पर राष्ट्रपति के शासन का लागू किया जाना;[211] 20 जुलाई, 1967 को मध्य प्रदेश के राज्यपाल द्वारा राज्य विधान सभा का अचानक सत्रावसान किए जाने से उस राज्य में उत्पन्न हुआ संवैधानिक संकट;[212] पश्चिमी बंगाल में संवैधानिक संकट;[213] पंजाब की विधान सभा में बजट के लंबित रहने पर भी विधान सभा अध्यक्ष द्वारा विधान सभा को 2 महीने के लिए स्थगित किए जाने के कारण उस राज्य में उत्पन्न हुआ संवैधानिक संकट;[214] पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल को वापस बुलाए जाने की मांग के संबंध में केन्द्र के रवैये के संवैधानिक निहितार्थ;[215] उत्तर प्रदेश विधान सभा के कुछ सदस्यों को उर्दू भाषा में शपथ दिलाए जाने/प्रतिज्ञान कराए जाने से इनकार किया जाना;[216] मध्य प्रदेश में संवैधानिक संकट;[217] 31 जुलाई, 1969 को पश्चिमी बंगाल विधान सभा की बैठक के दौरान उसके भीतर पुलिसकर्मियों का बलात् प्रवेश;[218] तमिलनाडु में संवैधानिक संकट;[219] नागालैंड विधान सभा द्वारा बजट पारित किए बिना ही उसे अनियत दिन तक स्थगित कर दिए जाने के कारण उत्पन्न हुआ संवैधानिक संकट;[220] जम्मू-कश्मीर के मुख्य मंत्री की सलाह पर उस राज्य की विधान सभा का भंग किया जाना;[221] असम के राज्यपाल द्वारा असम विधान सभा का सत्रावसान किए जाने और राज्य की संचित निधि में से धन का विनियोग करने के लिए अध्यादेश जारी किए जाने के कारण उस राज्य में उत्पन्न संवैधानिक संकट;[222] राज्यों में अध्यादेशों का जारी किया जाना और पुन: जारी किया जाना;[223] आंध्र प्रदेश विधान सभा द्वारा उस राज्य की विधान परिषद् को समाप्त करने के लिए संकल्प का पारित किया जाना;[224] राज्य विधान-मंडलों द्वारा पारित और राज्यपालों द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित विधेयकों पर सहमति देने में विलंब;[225] जम्मू-कश्मीर विधान सभा की मूर्छित अवस्था का जारी रहना;[226] और आंध्र प्रदेश विशेष शक्तियां (प्रेस) विधेयक के पुर:स्थापन के लिए भारत सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश सरकार को अनुमति।[227]

(ख) *निर्वाचन संबंधी विषय*

राजस्थान के नोहर विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र में उप-चुनाव का स्थगित किया जाना;[228] दिल्ली नगर निगम के एक उप-चुनाव के लिए दिल्ली के सदर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में बस्ती जुलाहान वार्ड की निर्वाचन नामावलियों का संशोधन; [229] केरल में मध्यावधि चुनाव कराने का निर्णय;[230] चंडीगढ़ में पाए गए अधिशेष बैलट पत्रों के बारे में उप-मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा की गई जांच के परिणाम;[231] कुछ राज्यों में चुनावों के दौरान मतदाताओं को मतदान करने से रोकने और हिंसा की घटनाएं;[232] संसद् के किसी उप-चुनाव को पूरा

करने के लिए एक निर्धारित अवधि का उपबंध न होने की दृष्टि से चुनाव संबंधी कानून की कमियां ;[233] और दिल्ली महानगर परिषद् के लिए चुनाव कराने और गढ़वाल संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में उप-चुनाव कराने में विलंब।[234]

(ग) *न्यायिक विषय*

भारत रक्षा नियमों के लगातार प्रयोग के बारे में जी. सदानन्दन **बनाम** केरल राज्य तथा अन्य के मामले (रिट याचिका 1965 की सं. 136) में उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में की गई टिप्पणियाँ ;[235] कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश द्वारा न्यायपालिका की हैसियत, प्रतिष्ठा, वेतन एवं अन्य लाभों तथा उसकी गरिमा को कम करने वाली विभिन्न सेवा शर्तों के कारण त्यागपत्र देने का समाचार;[236] पंजाब विनियोग अधिनियमों की विधिमान्यता के संबंध में उच्चतम न्यायालय का निर्णय और विधान-मंडल तथा पीठासीन अधिकारियों की शक्तियों के विशिष्ट संदर्भ में उसके निहितार्थ;[237] 13 मार्च, 1968 को उच्चतम न्यायालय के सत्र की कार्यवाही के दौरान मुख्य न्यायमूर्ति के कक्ष में न्यायमूर्ति श्री ए॰ एन॰ ग्रोवर को छुरा मारा जाना;[238] नरेशों की मान्यता समाप्त करने वाले राष्ट्रपति के आदेश को चुनौती देने वाली रिट याचिका पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय;[239] मुल्की नियमों के संबंध में उच्चतम न्यायालय का निर्णय;[240] इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति का मनमाने ढंग से कर्नाटक उच्च न्यायालय को स्थानांतरण;[241] अतिरिक्त और जिला सत्र-न्यायाधीशों द्वारा सामूहिक रूप से आकस्मिक छुट्टी लेने का विचार और संसद् भवन तक उनकी विरोध यात्रा;[242] बी॰एच॰ई॰एल॰-सीमेन्स करार के बारे में संसद-सदस्यों को सूचना देने के कथित आरोप के आधार पर बी॰एच॰ई॰एल॰ के प्रबंधक पर मुकदमा चलाया जाना;[243] सरकारी एजेंसियों द्वारा कथित रूप से परेशान किए जाने के कारण इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति श्रीवास्तव का इस्तीफा;[244] और उच्चतम न्यायालय द्वारा इस आधार पर एक उम्मीदवार के निर्वाचन को रद्द करने का निर्णय दिया जाना कि केरल के परूर विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र के कुछ मतदान केन्द्रों में इलेक्ट्रॉनिक मशीन का इस्तेमाल किया गया था जिसके लिए कोई कानूनी स्वीकृति नहीं थी।[245]

(घ) *विविध विषय*

पंजाब के मुख्य मंत्री द्वारा टेलीफोन पर की गई बातचीत का बीच में सुना जाना;[246] महात्मा गांधी की हत्या करने की नाथूराम गोड्से की योजना के संबंध में पुणे के एक भूतपूर्व संपादक द्वारा दिया गया वक्तव्य;[247] सरदार प्रताप सिंह कैरों की हत्या की जांच की प्रगति;[248] एक अमेरिकी नागरिक द्वारा गीतांजलि की मूल पांडुलिपि का खरीदा जाना;[249] भारत में निष्क्रांत संपत्ति के महा-अभिरक्षक के समक्ष ज़ेड॰ ए॰ भुट्टो का यह वक्तव्य कि वह भारतीय राष्ट्रिक थे;[250] लोक लेखा समिति के 50वें प्रतिवेदन में की गई टिप्पणियों के बारे में 19 मई, 1966 को राज्य सभा में सभा के नेता का आश्वासन और संबंधित अधिकारी को ब्रुसेल्स में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त करने का सरकार का निर्णय;[251] कच्छ विवाद से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेजों का गुम होना;[252] केन्द्रीय जांच ब्यूरो के प्रतिवेदन की एक अधिकृत प्रति को उड़ीसा सरकार को देने में केन्द्रीय गृह मंत्रालय की अनिच्छा और भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री बीजू पटनायक के विरुद्ध कतिपय आरोपों के संबंध में मंत्रिमंडलीय उप-समिति के निष्कर्ष;[253] केन्द्रीय जांच ब्यूरो के इस निष्कर्ष के बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा समाचार कि अमेरिका ने पिछले आम चुनाव में भारी रकम खर्च की थी;[254] मंगला बांध का निर्माण-कार्य पूरा होने पर प्रधान मंत्री द्वारा पाकिस्तान के राष्ट्रपति को बधाई संदेश;[255] तमिलनाडु के कतिपय भागों में हिन्दी-विरोधी प्रदर्शनकारियों द्वारा राष्ट्र-ध्वज और संविधान का जलाया जाना;[256] नई दिल्ली के अमेरिकी दूतावास द्वारा दिल्ली के एक मजिस्ट्रेट के समन को लेने से इन्कार किया जाना;[257] उप-विधि मंत्री श्री मोहम्मद यूनुस सलीम के प्रति विधि मंत्रालय (विधिक-कार्य विभाग) के सचिव का अपमानजनक व्यवहार;[258] माओ के विचारों के आधार पर भारत की एक कम्युनिस्ट पार्टी का गठन;[259] संविधान को भीतर से निष्प्रभावी बनाने के बारे में केरल के मुख्य मंत्री का वक्तव्य;[260] गांधीजी की मूर्ति को इंडिया गेट पर न लगाकर किसी अन्य स्थान पर लगाने का निर्णय;[261] संविधान को समाप्त करने, देश में राष्ट्रपति शासन लागू करने और थल सेना द्वारा प्रशासन चलाए जाने के लिए जनरल के॰एम॰ करियप्पा का सुझाव;[262] तमिलनाडु के लिए एक अलग झंडे की व्यवस्था के लिए उस राज्य सरकार का अनुरोध;[263] पश्चिम बंगाल में पाकिस्तानी जासूसों के गिरोह की गतिविधियां और उस राज्य की सरकार के कुछ भूतपूर्व मंत्रियों और उस राज्य के एक संसद्-सदस्य का उनमें कथित रूप से शामिल होना;[264] संसद् के सत्र के ठीक पहले डाक-दरों में वृद्धि;[265] भारतीय लोक दल के अध्यक्ष द्वारा दल के

चुनाव-चिन्ह के बारे में लिखे गए एक पत्र को निर्वाचन आयोग की फाइलों में से निकाल दिए जाने का समाचार;[266] प्रधान मंत्री और भूतपूर्व गृह मंत्री के बीच पत्र-व्यवहार;[267] कलकत्ता में एक हिंसक घटना जिसमें श्री जयप्रकाश नारायण की कार पर हमला हुआ और एक संसद-सदस्य और उसके साथी को चोटें आई;[268] आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, भारत रक्षा नियम आदि के अधीन अधिसंख्य राजनैतिक बंदियों का जेलों में बंद रहना;[269] समाचार-पत्रों के प्रबंधकों द्वारा पत्रकारों का उत्पीड़न;[270] जिम्बाब्वे की कठपुतली अश्वेत सरकार की स्थापना;[271] हरिजनों पर अत्याचारों को रोकने की मांग के समर्थन में एक संसद्-सदस्य द्वारा भूख-हड़ताल;[272] भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री नीलम संजीव रेड्डी और भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई के बीच हुए गोपनीय पत्र-व्यवहार के प्रकट होने का समाचार;[273] प्रतिभूति घोटाले के बारे में संयुक्त संसदीय समिति के प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्यवाही;[274] परमाणु अप्रसार संधि के संदर्भ में भारत की परमाणु नीति के संबंध में राष्ट्रीय सहमति बनाये जाने की आवश्यकता;[275] विमानों द्वारा पुरुलिया में घातक हथियार गिराये जाने से राष्ट्रीय सुरक्षा को उत्पन्न खतरे की स्थिति;[276] वित्तीय सहायता के अभाव और समय पर निर्णय न लेने के कारण केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के लाभ अर्जित कर रहे उपक्रमों के विनिवेश से उत्पन्न स्थिति;[277] सहकारी बैंकों में प्रतिभूति घोटाला और केन्द्रीय सरकार के विनियमों की विफलता तथा इस संबंध में सरकार द्वारा किये गये उपचारात्मक उपाय;[278] विदेश संचार निगम लिमिटेड बोर्ड द्वारा टाटा टेली सर्विसेज लिमिटेड में 1200 करोड़ रुपये के निवेश संबंधी निर्णय से उत्पन्न मुद्दे;[279] महाराष्ट्र और देश के अन्य भागों में कपास उत्पादकों द्वारा की गई आत्महत्याएं ;[280] गन्ना उत्पादकों की समस्याएं;[281] बागान क्षेत्र अर्थात् चाय, कॉफी,रबड़ इत्यादि में उत्पन्न संकट और सरकार द्वारा इस संबंध में उठाये गये कदम;[282] हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन और फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया के विशेषत: देश के पूर्वी क्षेत्र में उर्वरक संयंत्रों को बन्द किया जाना;[283] प्लास्टिक बोरों में पैक किए जाने के कारण गेहूँ, चावल, चीनी और अन्य खाद्य पदार्थों पर विषैला प्रभाव;[284] नौकरियां गंवाने, श्रम कानूनों के उल्लंघन, औद्योगिक एककों को बंद किए जाने, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के निजीकरण आदि से श्रमिकों में बढ़ रहे असंतोष से उत्पन्न स्थिति;[285] दोषपूर्ण सार्वजनिक वितरण प्रणाली;[286] इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश ;[287] कृष्णा और कावेरी नदियों के अन्तर्राज्यीय जल-बंटवारे संबंधी विवाद से उत्पन्न स्थिति और इस संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही;[288] कन्डीशनल एक्सेस सिस्टम (कैस) प्रणाली को लागू किया जाना और विदेशी चैनलों को अपलिंक किया जाना;[289] बड़ी संख्या में चाय बागानों की रुग्णता और उन्हें बन्द किये जाने से चाय-बागान श्रमिकों की दयनीय स्थिति एवं इसके कारण भूख से होने वाली मौतें;[290] महाराष्ट्र में हाल ही में कुपोषण और भुखमरी के कारण हुई बच्चों की मौतें;[291] देश के विभिन्न भागों में किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्याएं और इस संबंध में सरकार द्वारा उठाये गये उपचारात्मक कदम;[292] और सेंटोर होटल, मुम्बई के विनिवेश में अनियमितताएं और विनिवेशोपरांत अवधि में शेयर धारकों के साथ हुए अनुबंध का उल्लंघन।[293]

टिप्पणियां और संदर्भ

1. पुराना नियम 156
2. नियम समिति की बैठकों की कार्यवाही का सारांश, 3.6.1952 और 9.7.1952; फाइल सं॰ सीएस/3/52-एल
3. ''क्वेश्चन्स एंड एडजर्नमेंट मोशन्स इन सेकेंड चैम्बर्स'' नामक पुस्तिका, जून, 1952
4. राज्य सभा वाद-विवाद, कालम 44-45
5. बाद में संख्या बदलकर इसे नियम 175 कर दिया गया
6. मे, पृष्ठ 475
7. संसदीय समाचार (2), 1.7.1964
8. नियम 180
9. संसदीय समाचार (2), 11.8.1964; राज्य सभा वाद-विवाद, 12.8.1968, कालम 28–74 और 14.8.1968, कालम 3401-02 भी **देखिए**
10. राज्य सभा वाद-विवाद, 23.5.1979, कालम 1–3; संसदीय समाचार(2), 23.5.1979 और 6.7.1979
11. उदाहरणार्थ **देखिये** संसदीय समाचार (2), 3.2.1994

12. राज्य सभा वाद-विवाद, 19.8.1968, कालम 3477–79

13. नियम समिति का दूसरा प्रतिवेदन, पृष्ठ 12, 21, 27

14. राज्य सभा वाद-विवाद, 23.5.1979, कालम 1–3; संसदीय समाचार (2), 23.5.1979

15. नियम समिति का दूसरा प्रतिवेदन, पृष्ठ 3

16. राज्य सभा वाद-विवाद, 24.12.1981, कालम 502

17. -वही- 15.12.1981, कालम 162–68

18. नियम समिति का दूसरा प्रतिवेदन

19. नियम 180(1), परंतुक

20. नियम समिति का दूसरा प्रतिवेदन, पृष्ठ 21

21. राज्य सभा वाद-विवाद, 6.5.1986, कालम 184

22. -वही- 13.12.1985, कालम 200–02

23. -वही- 14.8.1968, कालम 3387–3402; 19.8.1968, कालम 3470–79; इसके अलावा राज्य सभा वाद-विवाद, 3.5.1978, कालम 131–38 भी **देखिए**

24. -वही- 6.5.1986, कालम 183–85

25. संसदीय समाचार (2), 4.12.1971

26. राज्य सभा वाद-विवाद, 21.7.1975, कालम 33–44

27. -वही- 3.11.1976, कालम 38–49

28. संसदीय समाचार (2), 20.9.1976

29. -वही-27.10.1976

30. राज्य सभा वाद-विवाद, 26.3.1985, कालम 184–86

31. -वही-19.8.1968, कालम 3477–79

32. -वही-4.8.1978, कालम 106

33. -वही-15.3.1989, कालम 1–4; 16.3.1989, कालम 1–8

34. -वही-19.6.1967, कालम 4659–62

35. -वही- 21.3.1975, कालम 116–18

36. -वही- 5.8.1982, कालम 264

37. -वही- 27.2.1981, कालम 153-54; 25.11.1981, कालम 208–56 भी **देखिए**

38. -वही- 11.3.1981, कालम 294–96; उन उदाहरणों के लिए जब एक ही ध्यानाकर्षण में दो या अधिक विषयों को सम्मिलित किया गया था, **देखिये** संसदीय समाचार (1), 1.12.1964, 5.5.1966, 3.8.1966, 11.8.1966, 7.4.1967, 11.4.1967, 22.6.1967, 26.7.1967 और 19.8.1968

39. राज्य सभा वाद-विवाद, 28.7.1978, कालम 149–54

40. -वही- 25.11.1981, कालम 208–56

41. राज्य सभा वाद-विवाद, 11.12.1981, कालम 203–11

42. कार्यावलि, 2.12.1983; राज्य सभा वाद-विवाद, 5.12.1983, कालम 256–301

43. -वही- 21.6.1971

44. -वही- 20.7.1978

45. -वही- 11.8.1978

46. -वही- 6.3.1981

47. -वही- 17.3.1981

48. -वही- 20.8.1981

49. -वही- 27.4.1984

50. -वही- 4.8.1986

51. -वही- 27.8.1987

52. -वही- 13.11.1987

53. -वही- 2.12.1988

54. -वही- 2.1.1991

55. -वही- 18.8.1993

56. नियम समिति का दूसरा प्रतिवेदन, पृष्ठ 17, 22 और 26

57. कार्य मंत्रणा समिति के कार्यवृत्त, 13.10.1982; संसदीय समाचार (2), 14.10.1982

58. राज्य सभा वाद-विवाद, 15.12.1981, कालम 162–68

59. -वही- 3.4.1970, कालम 4–15

60. नियम 180(3)

61. नियम 180(4)

62. संसदीय समाचार (1), 25.9.1964, 1.12.1964, 31.3.1965, 4.5.1965, 14.5.1965, 10.12.1965, 11.12.1965, 25.2.1966, 21.3.1966, 22.3.1966, 23.3.1966, 25.3.1966, 16.5.1966, 17.5.1966, 18.5.1966, 7.9.1966, 29.11.1966, 11.4.1967, 26.7.1967, 7.8.1967, 30.11.1967 और 13.5.1968

63. -वही- 10.3.1965, 11.11.1965, 18.11.1965, 23.3.1966, 26.8.1966

64. -वही- 13.5.1965, 17.8.1966, 23.8.1966, 24.8.1966, 5.4.1967, 6.4.1967, 23.11.1967, 19.3.1968, 8.5.1968, 1.9.1981, 13.8.1982, 5.11.1982 और 12.5.1989

65. -वही- 7.8.1967

66. -वही- 30.11.1967

67. -वही- 2.9.1966 और 5.9.1966

68. 10.4.1972 को सभा में प्रस्तुत नियम समिति का पहला प्रतिवेदन

69. राज्य सभा वाद-विवाद, 1.6.1972

70. संसदीय समाचार (2), 1.7.1972

71. नियम समिति का पहला प्रतिवेदन, पृष्ठ 7

72. नियम 180(5)

73. राज्य सभा वाद-विवाद, 3.9.1991, कालम 351-52

74. -वही- 4.9.1991, कालम 185–202

75. कार्य मंत्रणा समिति के कार्यवृत्त, 11.5.1992

76. राज्य सभा वाद-विवाद, 27.7.1993

77. -वही- 16.9.1991, कालम 14-15

78. -वही- 22.4.1981, कालम 199–201

79. -वही- 3.12.1981, कालम 192–94

80. -वही- 15.12.1964, 23.12.1964 और 9.3.1970

81. संसदीय समाचार (1), 9.8.1971, 6.3.1973, 21.3.1973, 15.11.1974, 20.2.1975, 13.6.1977, 15.6.1977, 21.6.1977, 20.7.1977, 29.7.1977, 5.12.1977, 6.12.1977, 22.3.1978, 22.4.1978, 26.4.1978, 19.7.1978, 21.2.1979, 13.3.1979 और 2.9.1981

82. -वही- 12.8.1966

83. -वही- 17.8.1966, 23.8.1966, 27.4.1970, 29.7.1971, 19.11.1973, 25.4.1978 और 24.8.1978

84. राज्य सभा वाद-विवाद, 19.11.1970, कालम 131; 22.4.1981, कालम 191–201; 15.3.1982, कालम 189; 25.3.1982, कालम 175–77; 9.7.1982, कालम 186–99 और 25.2.1983, कालम 161

85. -वही- 8.11.1966, कालम 315-16 और 410–34

86. -वही- 31.8.1981, कालम 185; 1.9.1981, कालम 11-12, 175

87. -वही- 3.12.1981, कालम 192

88. -वही- 5.3.1982, 148-49

89. -वही- 28.2.1983, कालम 262–74

90. -वही- 17.8.1983, कालम 170

91. -वही- 4.3.1986, कालम 527

92. -वही- 25.11.1986, कालम 185

93. -वही- 25.7.1968, कालम 687-88

94. -वही- 15.12.1980, कालम 218-19

95. -वही- 25.11.1981, कालम 247

96. -वही- 19.7.1989, कालम 275–90

97. -वही- 24.4.1986, कालम 171

98. -वही- 18.5.1973, कालम 13

99. राज्य सभा वाद-विवाद, 8.3.1982, कालम 209
100. -वही- 5.12.1985, कालम 176
101. -वही- 21.11.1978, कालम 167–73
102. -वही- 7.8.1985, कालम 147
103. -वही- 3.12.1968, कालम 2407–16 और 5.12.1968, कालम 2843–59
104. -वही- 28.7.1978, कालम 149–154
105. -वही- 25.11.1981, कालम 208–56; राज्य सभा वाद-विवाद, 11.12.1981, कालम 203–11 भी **देखिये**
106. -वही- 23.11.1967, कालम 944 और 24.11.1967, कालम, 1177–86
107. -वही- 7.8.1968, कालम 2427–29 और 13.8.1968, कालम 3060–98
108. -वही- 19.11.1970, कालम 131, 192 और 210
109. -वही- 30.11.1970, कालम 85–100
110. -वही- 6.8.1993, कालम 271
111. -वही- 10.8.1993, कालम 559–76; 12.8.1993, कालम 198 और 238
112. -वही- 18.3.1980, कालम 150–60; 19.3.1980, कालम 162–206; कार्यावलि, 19.3.1980
113. -वही- 23.11.1981, कालम 300–08; 24.11.1981, कालम 185 और कार्यावलि, 24.11.1981
114. -वही- 4.11.1982, कालम 413–20; 5.11.1982, कालम 303–06 और कार्यावलि, 5.11.1982
115. -वही- 21.2.1983, कालम 291–93; 22.2.1983, कालम 202 और कार्यावलि, 22.2.1983
116. संसदीय समाचार (1), 13.3.1968, 14.3.1968
117. -वही- 10.5.1968 और 11.5.1968
118. -वही- 6.3.1969 और 7.3.1969
119. राज्य सभा वाद-विवाद, 5.3.1982, कालम 172–74 और 8.3.1982, कालम 202
120. -वही- 25.2.1966, कालम 1395-96
121. -वही- 20.6.1967, कालम 4889–91; 4897–4900 और 21.6.1967, कालम 5127, आदि
122. -वही- 10.3.1981, कालम 184–94
123. -वही- 1.9.1981, कालम 11-12, 175, 269–72 और 2.9.1981, कालम 25, 248–396
124. -वही- 30.11.1967, कालम 1941 और संसदीय समाचार (1), 3.12.1973 (पूर्वाह्न)
125. -वही- 9.3.1978, कालम 184
126. -वही- 6.12.1974, कालम 177–79
127. -वही- 14.12.1981, कालम 176–81
128. -वही- 19.7.1989, कालम 275–90
129. नियम 180(1)

130. संसदीय समाचार (2), 20.4.1979 और 6.7.1979

131. राज्य सभा वाद-विवाद, 3.7.1980, कालम 4-5 और संसदीय समाचार (2), 3.7.1980

132. संसदीय समाचार (2) 3. 7.1980; राज्य सभा वाद-विवाद, 14.8.1971, कालम 10-12 भी **देखिये**

133. कार्य मंत्रणा समिति के कार्यवृत्त, 13.10.1982 और संसदीय समाचार (2), 14.10.1982

134. राज्य सभा वाद-विवाद, 15.10.1982, कालम 177-88; 16.10.1982, कालम 67 -69 और 20.10.1982, कालम 168-70

135. कार्य मंत्रणा समिति के कार्यवृत्त , 17.7.1991; कार्य मंत्रणा समिति के कार्यवृत्त, 12.8.1993 भी **देखिये**

136. राज्य सभा वाद-विवाद, 14.6.1967, कालम 3855

137. -वही- 26.7.1967, कालम 587

138. -वही- 17.8.1967, कालम 4553

139. नियम समिति (दूसरा प्रतिवेदन), पृष्ठ 17, 22 और 26

140. राज्य सभा वाद-विवाद, 7.4.1967, कालम 2803–10; 8.4.1967, कालम 2904–24; 24.11.1967, कालम 1078; 7.8.1968, कालम 2427–29; 13.8.1968, कालम 3060; 3.12.1968, कालम 2411–16; 5.12.1968, कालम 2843 आदि; 6.5.1969, कालम 1184–96; संसदीय समाचार (1), 1.3.1979 (पूर्वाह्न) और 2.3.1979; राज्य सभा वाद-विवाद, 4.11.1982, कालम 335–67; 5.11.1982, कालम 430; 18.11.1983, कालम 242–69, 337–66 और 21.11.1983, कालम 306–66

141. संसदीय समाचार (2), 20.4.1979

142. -वही- (2), 3.7.1980

143. राज्य सभा वाद-विवाद, 20.2.1979, कालम 183–86

144. -वही- 21.11.1978, कालम 167–69

145. -वही- 24.12.1980, कालम 17-18

146. -वही- 15.9.1981, कालम 256-57

147. -वही- 20.10.1982, कालम 167

148. -वही- 22.2.1983, 1.3.1983, 3.3.1983, 23.3.1983, 3.5.1983, 5.5.1983, 10.5.1983, 26.7.1983, 28.7.1983, 29.7.1983, 2.8.1983 5.8.1983, 8.8.1983, 9.8.1983, 12.8.1983 और 17.8.1983

149. -वही- 21.3.1983, कालम 251

150. -वही- 15.3.1983, कालम 242–92; 18.3.1983, कालम 242–71

151. -वही- 21.12.1983, कालम 201–24

152. -वही- 25.11.1986, कालम 268–334 और 26.11.1986, कालम 164–81

153. -वही- 15.7.1991, कालम 233

154. -वही- 6.3.1984, कालम 190–216 और 26.4.1984, कालम 132–66

155. -वही- 3.4.1967, कालम 1927–29

156. -वही- 18.8.1967, कालम 4838

157. राज्य सभा वाद-विवाद, 28.8.1970, कालम 171

158. -वही- 3.9.1970, कालम 16–18

159. -वही- 4.9.1970, कालम 29-30

160. -वही- 11.11.1970, कालम 110

161. -वही- 30.7.1971, कालम 178–84, 204–55

162. संसदीय समाचार (2), 20.4.1979

163. संसदीय समाचार (1), 1.5.1969 और 6.5.1969; 1.3.1979 और 2.3.1979; 24.4.1979 और 25.4.1979; 1.9.1981 और 2.9.1981; 4.11.1982 और 5.11.1982; 18.11.1983 और 21.11.1983; 4.11.1986 और 5.11.1986; 20.11.1987 और 24.11.1987; 27.8.1990 और 28.8.1990; 2.1.1991, 3.1.1991 और 4.1.1991; 6.8.1993, 10.8.1993 और 12.8.1993

164. -वही- 23.3.1978

165. -वही- 24.4.1979 और 25.4.1979

166. -वही- 24.1.1980

167. -वही- 6.5.1981

168. -वही- 1.9.1981 और 2.9.1981

169. -वही- 15.9.1981

170. -वही- 25.11.1981

171. -वही- 11.10.1982

172. -वही- 12.10.1982

173. -वही- 26.7.1984

174. -वही- 22.7.1986

175. -वही- 13.11.1986

176. -वही- 15.4.1987

177. -वही- 28.4.1987

178. -वही- 25.8.1987

179. -वही- 2.8.1989

180. -वही- 2.1.1991, 3.1.1991 और 4.1.1991

181. -वही- 4.12.1991

182. -वही- 18.12.1991

183. -वही- 12.5.1992

184. -वही- 15.3.1993

185. -वही- 12.5.1993

186. संसदीय समाचार (1), 26.7.1993

187. –वही– 6.8.1993, 10.8.1993 और 12.8.1993

188. –वही– 25.8.1994

189. –वही– 23.8.1994

190. –वही– 18.3.1996

191. –वही– 14.5.1997

192. –वही– 6.8.1997

193. –वही– 2.5.2000

194. –वही– 10.5.2000

195. राज्य सभा वाद-विवाद, 22.7.1968, कालम 101–04; 23.7.1968, कालम 310–412

196. –वही– 24.7.1967, कालम 119, 148; 29.2.1968, कालम 2539–45, 2592 आदि; 4.8.1969, कालम 2226–57; 5.8.1969, कालम 2469–549; 1.12.1969, कालम 2166–68 और 27.7.1977, कालम 127–30

197. –वही– 19.6.1967, कालम 4659–63, 4740 आदि

198. –वही– 24.11.1967, कालम 1078–97

199. –वही– 12.12.1967, कालम 3591–3718; 13.12.1967, कालम 3827–3909

200. –वही– 4.8.1969, कालम 2226–57; 5.8.1969, कालम 2469–2549, 2553–58

201. –वही– 4.4.1970, कालम 2–28, 202; 19.5.1970, कालम 248–64 और 28.7.1970, कालम 170–250

202. –वही– 27.7.1970, कालम 131–41, 152 आदि

203. –वही– 18.11.1985, कालम 359–474

204. 7.8.1990 और 8.8.1990 की कार्यावलि और संशोधित कार्यावलि

205. राज्य सभा वाद-विवाद, 27.4.1970, कालम 118–80 और 28.4.1970, कालम 119–38

206. –वही– 27.7.1983, कालम 214–59; 2.1.1991, कालम 761–62

207. –वही– 31.7.1970, कालम 126

208. –वही– 12.8.1985, कालम 242–75

209. संसदीय समाचार (1), 10.3.1965

210. –वही– 28.3.1966

211. –वही– 20.3.1967

212. –वही– 24.7.1967

213. –वही– 16.2.1968

214. –वही– 11.3.1968

215. संसदीय समाचार (1), 7.3.1969

216. –वही– 18.3.1969

217. –वही– 21.3.1969

218. –वही– 4.8.1969

219. –वही– 5.12.1972

220. –वही– 22.3.1975

221. –वही– 30.3.1977

222. –वही– 27.4.1981

223. –वही– 22.8.1983

224. –वही– 14.3.1984

225. –वही– 25.11.1985

226. –वही– 12.5.1986

227. –वही– 22.8.1968

228. –वही– 14.5.1965

229. –वही– 9.5.1969

230. –वही– 31.7.1970

231. –वही– 31.3.1971

232. –वही– 21.6.1977

233. –वही– 25.11.1981

234. –वही– 5.3.1982

235. –वही– 25.2.1966

236. –वही– 10.5.1968

237. –वही– 7.8.1968

238. –वही– 14.3.1968

239. –वही– 16.12.1970

240. –वही– 23.11.1972

241. –वही– 13.3.1978

242. –वही– 13.3.1979

243. –वही– 26.3.1980

244. –वही– 30.7.1980

245. –वही– 9.3.1984

246. संसदीय समाचार (1), 28.9.1964

247. –वही– 24.11.1964

248. –वही– 11.3.1965

249. –वही– 12.3.1965

250. –वही– 19.11.1965

251. –वही– 19.5.1966

252. –वही– 24.8.1966

253. –वही– 8.6.1967

254. –वही– 19.6.1967

255. –वही– 23.11.1967

256. –वही– 27.2.1968

257. –वही– 31.3.1969

258. –वही– 1.5.1969; 6.5.1969

259. –वही– 7.5.1969

260. –वही– 22.7.1969

261. –वही– 3.12.1969

262. –वही– 12.3.1970

263. –वही– 25.8.1970

264. –वही– 31.5.1971

265. –वही–9.3.1976

266. –वही–24.6.1977

267. –वही–19.7.1978

268. –वही– 28.4.1975

269. –वही– 6.4.1977

270. –वही– 17.6.1977

271. –वही– 20.3.1978

272. –वही– 20.7.1978

273. –वही– 25.8.1983

274. –वही– 10.5.1994

275. –वही– 17.5.1995

276. –वही– 8.3.1996

277. संसदीय समाचार (1), 19.12.1996

278. –वही– 16.5.2002

279. –वही– 1.8.2002

280. –वही– 27.11.2002

281. –वही– 2.12.2002

282. –वही– 9.12.2002

283. –वही– 12.12.2002

284. –वही– 13.12.2002

285. –वही– 26.2.2003

286. –वही– 30.4.2003

287. –वही– 9.5.2003

288. –वही– 30.7.2003

289. –वही– 6.8.2003

290. –वही– 19.12.2003

291. –वही– 9.7.2004

292. –वही– 14.7.2004

293. –वही– 18.8.2004